सत्यमेव जयते

भारत सरकार/ Government of India

जल शक्ति मंत्रालय/ Ministry of Jal Shakti

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग/

Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

Krishna River Management Board

वार्षिक प्रतिवेदन

2020-2021

KRISHNA RIVER BASIN MAP

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
Krishna River Management Board

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
Department of Water Resources,
River Development & Ganga Rejuvenation

जल शक्ति मंत्रालय
Ministry of JalShakti

वार्षिक प्रतिवेदन
2020 - 21

अध्यक्ष की ओर से

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 प्रस्तुत करने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह कृष्णा नदी बेसिन का संक्षिप्त विवरण और वर्ष 2020-21 के दौरान कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों और प्रगति को दर्शाता है।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन जल संसाधन मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय) की अधिसूचना संख्या : 1148, दिनांक : 28-05-2014 और आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का धारा 85 (1) , (4) और (5) के अनुसार किया गया है। इसका प्राथमिक कार्य कृष्णा बेसिन की परियोजनाओं से आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों को पीने, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी की आपूर्ति का विनियमन करना है। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की 12वीं बैठक 04-06-2020 को आयोजित की गई थी जिसमें दोनों राज्यों द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाओं और दोनों राज्यों के बीच जल आपूर्ति के विनियमन पर चर्चा की गयी।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड, आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 (8) के तहत निर्धारित अपने कार्यों को जल शक्ति मंत्रालय के मार्गदर्शन और आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना राज्य सरकारों के समर्थन में पूरा कर रहा है। इसके सुचारू काम काज को सुविधाजनक बनाने में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और दोनों राज्य सरकारों के समर्थन और सहयोग को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है।

अंत में, मैं कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारी सदस्यों द्वारा कोविड महामारी के बावजूद अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण किए गए असाधारण प्रयासों को स्वीकार करना चाहता हूँ, जिसने बोर्ड को अपने कार्यों को निष्पक्ष और सफलतापूर्वक करने में सक्षम बनाया।

इस वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन, बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों से संभव हो सका है। मैं इस रिपोर्ट को सामने लाने में योगदान देनेवाले सभी लोगों के प्रयासों की सराहना करता हूँ।

(शिव नंदन कुमार)
अध्यक्ष, केआरएमबी

सदस्य सचिव का संदेश

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन 02.06.2014 को केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था। बोर्ड के कार्यों में कृष्णा नदी के उन परियोजनाओं का प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन शामिल है और जिनको समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

कृष्णा जल के बंटवारे का प्रबंधन बोर्ड द्वारा तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें बोर्ड के सदस्य सचिव और आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना के इंजीनियर – इन –चीफ शामिल हैं। तीन सदस्यीय समिति परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्रों पर विचार करती है और पानी की समग्र उपलब्धता और आवश्यकताओं को ध्यान में रखती हुई बोर्ड को सिफारिश करती है। वर्ष 2020-21 के दौरान उक्त समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई और परियोजनाओं से पानी छोड़ने के लिए तीन आदेश जारी किए गए।

21-22 जून, 2016 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बोर्ड ने दोनों राज्यों में जलाशयों से पानी के लेखांकन के लिए टेलीमेट्री स्टेशनों की स्थापना शुरू कर दी है। टेलीमेट्री स्टेशनों की स्थापना जल लेखांकन और आंध्रप्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के बीच पानी के समान बंटवारे के लिए फायदेमंद है। वर्तमान में चरण- । के तहत, 18 टेलीमेट्री स्टेशन, जूराला, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर परियोजनाओं के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। शेष 9 टेलीमेट्री स्टेशन भी स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है।

तकनीकी गतिविधियों के अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हिंदी पखवाड़ा, संविधान दिवस और स्वच्छता पखवाड़ा जैसे विभिन्न कार्यक्रमआयोजित किया गया था।

मैं इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनके बहुमूल्य सुझावों और मार्गदर्शन के लिए श्री शिव नंदन कुमार, अध्यक्ष, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने में बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए विशेष रूप से श्री जी.श्रीनिवासराव, कार्यकारी अभियंता (प्रशासन), श्री पी. रविचंद्रा, उप कार्यकारी अभियंता और श्रीमती के.सावित्री, सहायक कार्यकारी अभियंता को बधाई देता हूँ।

(डी. एम. रायपुरे)
सदस्य सचिव, केआरएमबी

2020-2021 वर्ष की मुख्य विशेषताएँ

- केआरएमबी की बारहवीं बोर्ड बैठक 4, जून 2020 को आयोजित की गई थी।
- तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा तीन (03) जल निकासी आदेश जारी किये गए थे।
- जल वर्ष 2020-21 के दौरान, चेन्नई जल आपूर्ती समिति की दो बैठकें आयोजित की गई।
- केआरएमबी सचिवालय के कामकाज में ई-गवर्नेंस गतिविधियों को लागू किया गया था जैसे कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड वेबसाइट, LIMBS, RTI, ई-समीक्षा, GeM, ई-प्रोक्यूर्मेंट आदि ।
- सरकार के विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे भारत के संविधान दिवस,स्वच्छता पखवाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हिंदी पखवाड़ा आदि का आयोजन ।
- वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए 16.75 करोड़ रुपये का बजट अनुमान बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- बोर्ड के अधिकारियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सम्मेलनों/ संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ बैठकों में भागीदारी के माध्यम से किया गया।

विषय सूची

अध्याय संख्या	नाम	पृष्ठ
	अध्यक्ष की ओर से	iii
	सदस्य सचिव का संदेश	iv
	2020-2021 वर्ष की मुख्य विशेषताएँ	v
1	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का अवलोकन	1
2	कृष्णा नदी	4
3	बोर्ड के कार्य	8
4	बोर्ड संगठन	10
5	बोर्ड की बैठकें	13
6	प्रशासनिक मामले	19
7	वित्तीय मामले	21
8	तकनीकी मामले	24
9	संसद प्रश्न, आरटीआई, अति विशिष्ठ सन्दर्भ, क्षमता निर्माण और अदालती मामले	37
10	अन्य गतिविधियाँ	40
	अनुलग्नक I (भारत का राजपत्र - APRA 2014 की संख्या 6, 2014)	48
	अनुलग्नक II (राजपत्र अधिसूचना - केआरएमबी गठन)	52
	अनुलग्नक III (ग्यारहवी अनुसूची)	54
	अनुलग्नक IV (कृष्णा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समिति का गठन)	56
	अनुलग्नक V (18 और 19 जून 2015 की बैठक के कार्यवृत्त)	58
	अनुलग्नक V का परिशिष्ट	62
	अनुलग्नक VI (एपी और टीएस द्वारा नहर / योजना-वार जल निकासी)	65
	अनुलग्नक VII (कृष्णा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण)	67

प्रतिवेदन में प्रयुक्त संकेताक्षर

एडीसीपी	ध्वनिक डॉप्लर धरा प्रोफाइलर
ए एम् आर पी	एलिमिनेटि माधव रेड्डी परियोजना
ए पी	आंध्रप्रदेश
एपी जेनको	आंध्रप्रदेश विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड
एपीआर ए 2014	आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014
सी इ ए	केंद्रीय विद्युत् प्राधिकरण
सीवीसी	केंद्रीय अन्वेषण आयोग
सी डब्ल्यू सी	केंद्रीय जल आयोग
सी डब्ल्यू ईएस	केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप'ए') सेवा
सीडब्ल्यू पी आर एस	केंद्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान स्टेशन
डी ओ डब्ल्यू आर	जल संसाधन विभाग
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
एफ आर एल	पूर्ण जलाशय स्तर
जी ओ आई	भारत सरकार
जी डब्ल्यू डी टी	गोदावरी जल विवाद प्राधिकरण
एच एन एस एस	हंद्री नीवा सुजल स्रवंति
आई & सी ए डी	सिंचाई और सिंचित क्षेत्र विकास
आई एस आर डब्ल्यू डी ए	अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम
के जी बी ओ	कृष्णा गोदावरी बोर्ड संगठन
के आर एम् बी	कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड
के डब्ल्यू डी टी	कृष्णा जल विवाद प्राधिकरण
एम् ओ जे एस	जल शक्ति मंत्रालय
एन आई एच	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान
एनआर एस सी	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र
एल आई एस	लिफ्ट सिंचाई योजना
एल एम सी	बायीं मुख्य नहर
आर एम सी	दाहिनी मुख्य नहर
एम डी डी एल	न्यूनतम खींचाई स्तर
एम् डब्ल्यू	मेगावाट
एन एस पी	नागार्जुन सागर परियोजना
एन एस एस आर एस पी	नीलम संजीव रेड्डी सागर श्रीसैलम परियोजना
आर डी एस	राजोलिबंडा परिवर्तन योजना
आर डी & जी आर	नदी विकास & गंगा संरक्षण
आर टी आई	सूचना का अधिकार

एस सी ए डी ए	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण
एस एल डी सी पी	साइड लुकिंग डॉप्लर करंट प्रोफाइलर
टी एम सी	हजार मिलियन घन फीट (2831 एच ए एम)
टी एस	तेलंगाना राज्य
टी एस जेनको	तेलंगाना राज्य विद्युत् उत्पादन निगम लिमिटेड
डब्ल्यू आर डी	जल संसाधन विभाग

अध्याय -1

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का अवलोकन

1.1 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (के आर एम बी) का संविधान

तत्कालीन आंध्रप्रदेश राज्य को आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों के रूप में विभाजित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को संसद में पारित किया गया था और राष्ट्रपति के आदेशों के तहत कानून एवं न्याय मंत्रालय ने राजपत्र संख्या वर्ष 2014 का. 6 (भाग-2) । दिनांक: 1 मार्च 2014 के माध्यम से इस अधिनियम को प्रकाशित किया गया (अनुलग्नक-1)। इस अधिनियम का भाग IX नव निर्मित राज्यों के जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास से संबंधित है।

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 (भाग IX) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने, जल संसाधन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2014 के माध्यम से, स्वायत्त दर्जे से केंद्र सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और संचालन के लिए कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) का गठन किया। एमओडब्ल्यूआर आरडी और जीआर द्वारा जारी किये गये केआरएमबी की अधिसूचना (भाग II – धारा 3) दिनांक 28.05.2014 का राजपत्र कि एक प्रति अनुबंध-II के रूप में रखा गया है।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (के आर एम बी) की संरचना इस प्रकार है :

(1)	केंद्रीय जल अभियांत्रिकी (ग्रुप 'ए') सेवा से भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के स्तर का एक अधिकारी।	अध्यक्ष
(2)	नव निर्मित तेलंगाना और आंध्रप्रदेश राज्यों में से दो सदस्य, प्रत्येक रूप से नामित किए जानेवाले, उनमें से एक तकनीकी सदस्य जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे न हो और दूसरा प्रशासनिक सदस्य जो संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा।	सदस्यों
(3)	सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग (ग्रुप 'ए') सेवा का एक विशेषज्ञ।	सदस्य
(4)	केंद्रीय जल अभियांत्रिकी (ग्रुप 'ए') सेवा का एक अधिकारी जो मुख्य अभियंता के पद से नीचे का न हो।	सदस्य सचिव

बोर्ड ने 2 जून 2014 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम ,2014 के प्रयोजनों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 04-03-2014 की अधिसूचना के माध्यम से नियत दिन अधिसूचित किया गया।

1.2 मुख्यालय

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का मुख्यालय नव निर्मित आंध्रप्रदेश राज्य में होना है। हालांकि, बोर्ड का मुख्यालय वर्तमान में हैदराबाद में है और केआरएमबी के मुख्यालय को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है।

1.3 बोर्ड के कर्मचारी

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 86(1) के अनुसरण में, बोर्ड ने नव निर्मित राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के कुशल निर्वहण हेतु आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सदस्य के पद केआरएमबी के लिए सम्मिलित हैं और डीओडब्ल्यूआर, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा तैनात किए जाते हैं। सदस्य (विद्युत्) का पद भी संवार्गित है और विद्युत् मंत्रालय द्वारा तैनात किया जाता है।

1.4 अर्थ व्यवस्था

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 86(2) के अनुसरण में, आंध्रप्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार हर समय बोर्ड को अपने कार्यों के निर्वहण के लिए आवश्यक सभी खर्चों को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करेगा और उक्त राज्यों में से प्रत्येक निर्दिष्ट करें कि इस तरह की राशि को संबंधित राज्यों के बीच उस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार लाभ के संबंध में कर सकती है।

1.5 शीर्ष परिषद्

केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों को पर्यवेक्षण करने के लिए एक शीर्ष परिषद् एपेक्स कौंसिल) का गठन किया।

शीर्ष परिषद् (अपैक्स कौंसिल) का संगठन निम्न प्रकार है -

(a) जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार – अध्यक्ष,

(b) आंध्रप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री – सदस्य,

(c) तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री – सदस्य

शीर्ष परिषद् (एपेक्स कौंसिल) के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल हैं –

(i) कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण।

(ii) कृष्णा और गोदावरी नदी पर आधारित नई परियोजनाएँ, यदि कोई भी हो, उनके निर्माण के प्रस्तावों की योजनाओं को तैयार करना और उनका अनुमोदन करना जिनका मूल्यांकन एवं सिफारिश नदी प्रबंधन बोर्डों एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गयी है।

(iii) नव निर्मित राज्यों के बीच होनेवाले बातचीत और आपसी समझौते के माध्यम से नदी जल के बँटवारे से उत्पन्न होनेवाले किसी भी विवाद का सौहार्द पूर्ण ढंग से समाधान।

(iv) किसी भी विवाद जो कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण के तहत शामिल नहीं किए उसे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित किए जानेवाले ट्रिब्यूनल को समाधान हेतु भेजना।

अध्याय -2

कृष्णा नदी

2.1 परिचय

कृष्णा बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% है। बेसिन की अधिकतम लंबाई और चौड़ाई लगभग 701 किमी और 672 किमी है, यह 73°17' से 81°9' पूर्वी देशांतर और 13°10' से 19°22' उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है।

कृष्णा नदी उत्तर में बालाघाट श्रेणी, दक्षिण में पूर्वी घाटों में, पूर्व और पश्चिम में पश्चिमी घाटों से घिरा है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के उत्तर में 1,337 मीटर की ऊंचाई पर महाराष्ट्र के सातारा जिले के जोर गांव के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक नदी की कुल लंबाई 1,400 किमी है।

दाहिनी ओर से जुड़ने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ घाटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा हैं जबकि बाई ओर से जुड़नेवाली नदियाँ भीमा, मूसी और मुन्नेरु हैं।

बेसिन का प्रमुख भाग कुल क्षेत्रफल का 75.86% कृषि भूमि से आच्छादित है और बेसिन का 4.07% जल निकायों द्वारा कवर किया गया है।

कृष्णा नदी जल ग्रहण क्षेत्र एवं लंबाई का राज्यवार वितरण तालिका 2.1 में दिया गया है ।

तालिका - 2.1

बेसिन स्थित राज्य	लंबाई कि.मी. में	जलग्रहण क्षेत्र वर्ग कि.मी. में
महाराष्ट्र	306	69425
कर्नाटक	483	113271
तेलंगाना	612	50155
आँध्रप्रदेश		26097
कुल	**1401**	**258948**

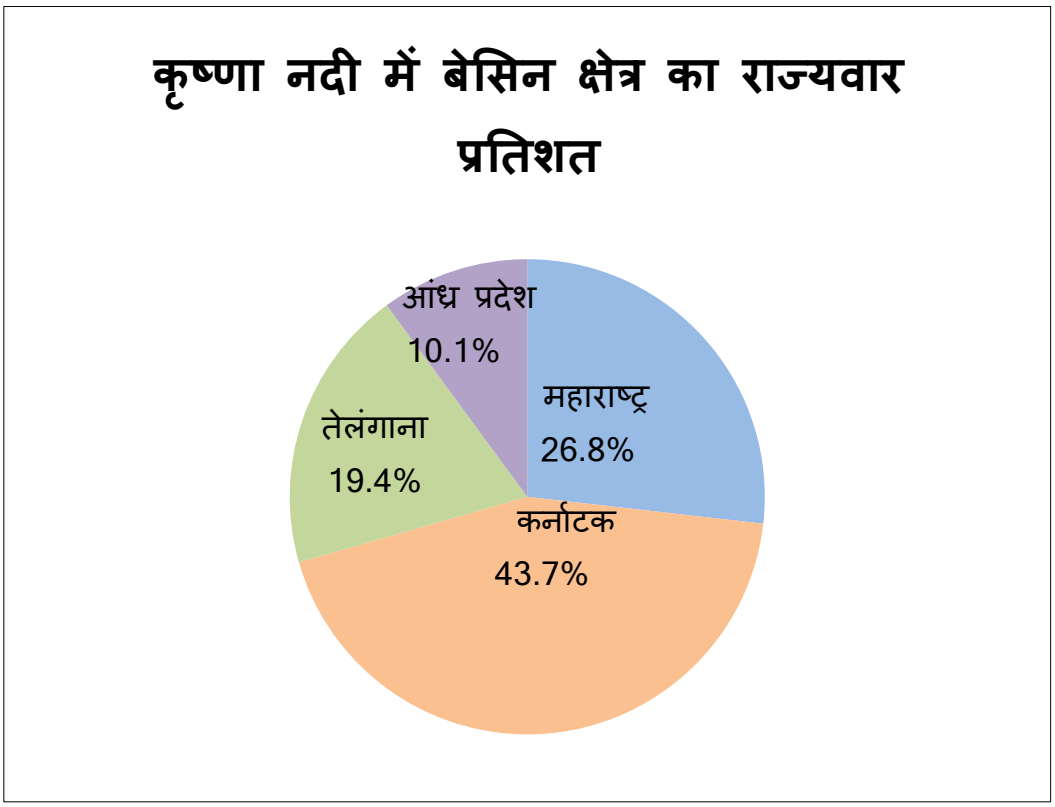

2.2 प्रमुख सहायक नदियाँ

कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ तालिका - 2.2 में दर्शाई गई हैं।

तालिका - 2.2

क्र.सं	सहायक नदी	लंबाई कि मी (औसतन)
1	कोयना (आर)	119
2	घाटप्रभा (आर)	283
3	मालप्रभा (आर)	306
4	तुंगभद्रा (आर)*	531
5	वेदवती (आर)	391
6	भीमा (एल)*	861
7	मूसी (एल)	267
8	पालेरू (एल)	153
9	मुन्नेरू (एल)	196

* कृष्णा नदी की दो प्रमुख उप नदियाँ तुंगभद्रा व भीमा स्वयं प्रमुख अंतर्राज्यीय नदियाँ हैं।

2.3 उप-बेसिन

बेसिन में जल संसाधनों की योजना एवं विकास के उद्देश्य से कृष्णा नदी बेसिन को निम्नलिखित 12 उप-बेसिनों में विभाजित किया गया है, जैसा कि तालिका-2.3 में दिया गया है।

तालिका - 2.3

क्र.सं.	उप-बेसिन	संख्या	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी में	क्षेत्रफल प्रतिशत में
1	ऊपरी कृष्णा	के 1	17972	7
2	मध्य कृष्णा	के 2	17558	7
3	घाटप्रभा	के 3	8829	3
4	मालप्रभा	के 4	11549	4
5	ऊपरी भीमा	के 5	46066	18
6	निचली भीमा	के 6	24548	10
7	निचली कृष्णा	के 7	36125	14
8	तुंगभद्रा	के 8	47827	19
9	वेदवती	के 9	23590	9
10	मूसी	के 10	11212	4
11	पलेरू	के 11	3263	1
12	मुन्नेरू	के 12	10409	4
		Total	**258948**	**100**

2.4 आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी

प्रियदर्शिनी जूराला तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर बनी सबसे उजान परियोजना है और जो राज्य पुनर्गठन के बाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह परियोजना निचली कृष्णा उप-बेसिन में स्थित है। तुंगभद्रा, वेदवती, मूसी, पालेरू और मुन्नेरू उप-बेसिन आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के अंतर्गत आनेवाले कृष्णा नदी के दूसरे उप- बेसिन हैं।

कृष्णा नदी उनके साथ सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, मूसी, पालेरू और मुन्नेरू जो स्वयं में अंतर राज्य नदियाँ हैं, कृष्णा नदी में जुडनेवाली सहायक नदियों के साथ तेलंगाना और आंध्रप्रदेश दोनों राज्यों में बहती हैं ।

नीलम संजीव रेड्डी सागर परियोजना (श्रीशैलम), नागार्जुन सागर परियोजना, डॉ. के.एल. राव पुलिचिंतला परियोजना और प्रकाशम बैराज कृष्णा नदी पर प्रमुख मौजूदा परियोजनाएँ हैं। दो प्रमुख परियोजनाएँ श्रीशैलम और नागार्जुन सागर दोनों आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सेवा करती हैं।

कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा बाँध, राजोलीबंडा डायवर्जन स्कीम (आर डी एस) और सुंकेसुला बैराज तीन बड़े परियोजना मौजूद हैं । तुंगभद्रा नदी पर निर्मित तुंगभद्रा बांध, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तीनों राज्यों को पानी उपलब्ध कराता है।

.नदी प्रवाह रेखा आरेख

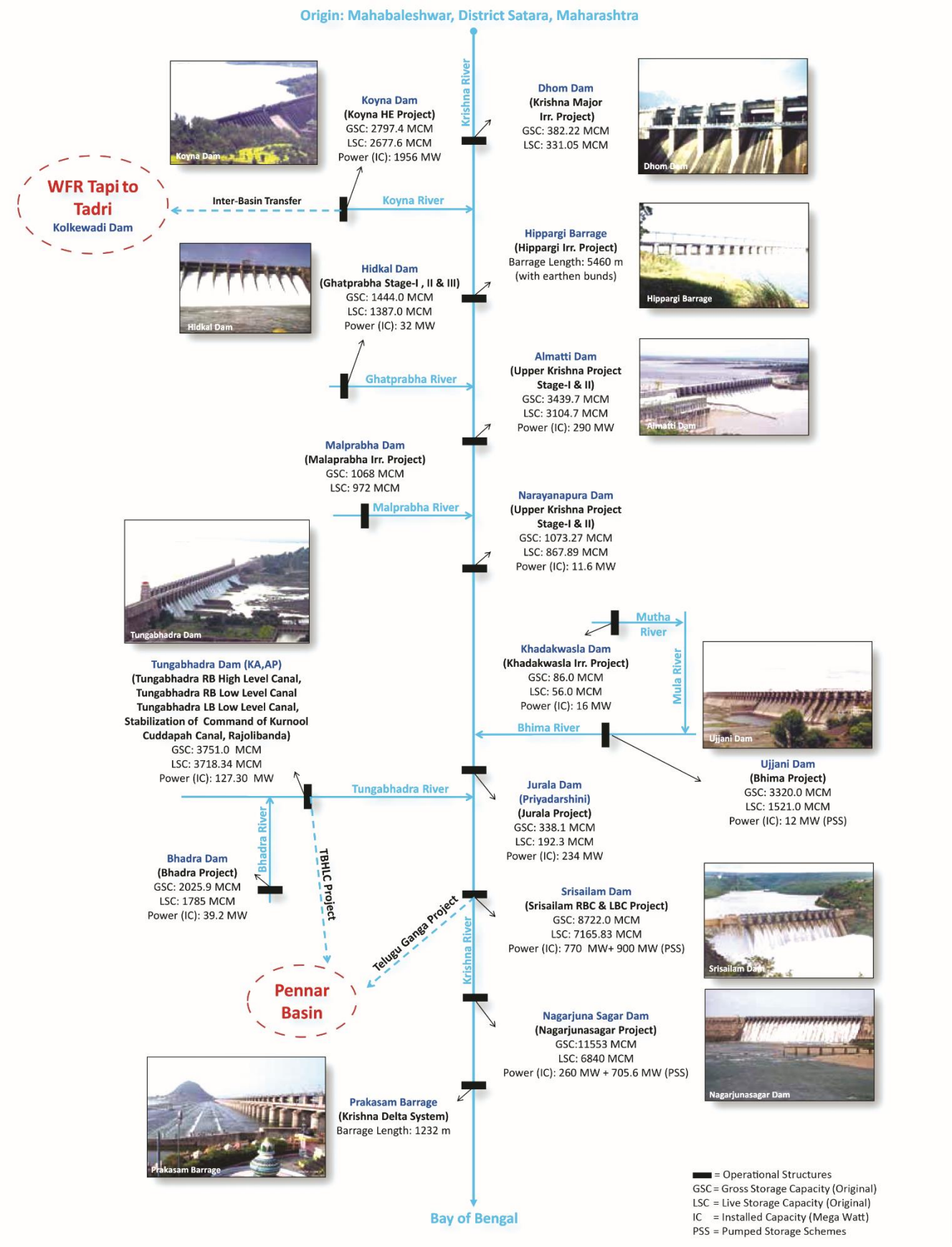

अध्याय-3

बोर्ड के कार्य

3.1 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के कार्य

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के खंड 85(8) के तहत निर्धारित बोर्ड के कार्य इस प्रकार हैं-

(अ) निम्नलिखित के संबंध में परियोजनाओं से नव निर्मित राज्यों को पानी की आपूर्ति का विनियमन।

(i) अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित अधिकरणों द्वारा दिए गए जल आवंटन निर्देश।

(ii) वर्तमान आंध्रप्रदेश राज्य या अन्य राज्य या संघ शासित क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किया गया कोई समझौता या व्यवस्था;

(आ) वर्तमान आंध्रप्रदेश राज्य या अन्य राज्य या संघ शासित क्षेत्र की सरकार को शामिल करते हुए किए गए किसी समझौते या व्यवस्था के संबंध में बिजली के वितरण के प्रभारी प्राधिकारी को उत्पन्न बिजली की आपूर्ति का विनियमन;

(इ) केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट जल संसाधन परियोजनाओं के विकास से संबंधित निर्माणाधीन कार्य या नए कार्यों को राज्य सरकारों द्वारा पूरा करना।

(ई) कृष्णा नदी पर बननेवाली नई परियोजनाओं के निर्माण के लिए किसी भी प्रस्ताव का मूल्यांकन करना और तकनीकी मंजूरी, इस बात से संतुष्ट होने के बाद देना कि ऐसी परियोजनाएं नियत दिनों से पहले पूरी की जा चुकी या शुरू की गई परियोजनाओं के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरणों के निर्णयों के अनुसार पानी की उपलब्धता को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती हैं; और

(उ) ग्यारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट सिद्धांतों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कोई कार्य।

3.1.1 ग्यारहवीं अनुसूची

आँध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की ग्यारहवीं अनुसूची में नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यों को नियंत्रित करनेवाले सिद्धांतों को शामिल किया गया है और यह **अनुलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।

3.2 क्षेत्राधिकार

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 87(1) के अनुसार, बोर्ड का अधिकार क्षेत्र आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बनी परियोजना के हेडवर्क्स (बैराज, बांध, जलाशय, विनियमन संरचना), तथा संबंधित राज्यों को जल या बिजली पहुँचाने के लिए आवश्यक नहर नेटवर्क और ट्रांसमिशन लाइनों पर होगा जिन्हें अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित प्राधिकरणों द्वारा दिए गए आवंटन के संबंध में ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

एपीआर अधिनियम, 2014 की धारा 87(2) के अनुसार, यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि उप-धारा (1) के तहत बोर्ड के पास संदर्भित किसी परियोजना पर अधिकार क्षेत्र है या नहीं, तो उसे निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

माननीय मंत्री (जल शक्ति) की अध्यक्षता में 21.09.2016 को आयोजित सर्वोच्च परिषद की पहली बैठक में, तेलंगाना सरकार ने कहा कि अंतिम KWDT-II पुरस्कार के बाद ही, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को अधिसूचित किया जा सकता है। आंध्रप्रदेश सरकार ने कहा कि KWDT-II द्वारा किए जानेवाले लंबित आवंटन, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को भारत सरकार (जी ओ) द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है क्योंकि क्षेत्राधिकार और KWDT-II द्वारा परियोजना-वार आवंटन के बीच कोई संबंध नहीं है।

सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा 15.02.2018 को ली गई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले में अंतिम निर्णय शीर्ष परिषद द्वारा लिया जाएगा।

साथ ही सचिव, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा 21.01.2020 को ली गई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को निर्णय के लिए शीर्ष परिषद के समक्ष रखा जाएगा।

माननीय मंत्री (जल शक्ति) की अध्यक्षता में 06.10.2020 को आयोजित शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जीआरएमबी और केआरएमबी के क्षेत्राधिकार को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की। माननीय केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2014 के अनुसार ऐसी अधिसूचना के लिए यह केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है और इसलिए इसे APRA-2014 के स्पष्ट शासनादेश के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय-4

बोर्ड संगठन

4.1 संगठन

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) की स्थापना 2 जून, 2014 को आँध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 (1) के अनुसरण में की गई थी।

4.2 बोर्ड सचिवालय

बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किये गए हैं।

(i) अध्यक्ष,

(ii) सदस्य सचिव,

(iii) सदस्य (विद्युत) और

(iv) सदस्य

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है जो बोर्ड के सुचारू कामकाज के लिए प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के साथ निहित है। अध्यक्ष को सदस्य सचिव, सदस्य (विद्युत) और सदस्य (बोर्ड सचिवालय में) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'ए') सेवाओं से नियुक्त सदस्य सचिव, बोर्ड के प्रशासन और वित्तीय मामलों के पर्यवेक्षण के प्रभारी हैं। विद्युत मंत्रालय से नियुक्त सदस्य (विद्युत), विद्युत संबंधी मामलों को देखने के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'ए') सेवा से मुख्य अभियंता के स्तर के बोर्ड सचिवालय में सदस्य तकनीकी मामलों के लिए जिम्मेदार हैं।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में सदस्य सचिव, सदस्य (विद्युत) और सदस्य के अधीन अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता स्तर के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संबद्ध कर्तव्यों और कार्यों को संबंधित इकाइयों के तहत समूहीकृत किया जाता है और प्रत्येक इकाई को विभागों में विभाजित किया जाता है, जिसके प्रमुख कार्यपालक अभियंता, उप निदेशक / निदेशक (वित्त) होते हैं। कार्यपालक अभियंता, उप निदेशक / निदेशक (वित्त) को उप के स्तर के अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाता है। जैसे कार्यपालक अभियंता, सहायक निदेशक, सहायक कार्यपालक अभियंता, अधीक्षक, लेखा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक और जूनियर सहायक।

सदस्य सचिव, सदस्य और सदस्य (विद्युत) के तहत कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:

(i) सदस्य सचिव के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय इकाई

1. प्रशासन एवं समन्वय विभाग
2. वित्त विभाग
3. जल प्रबंधन विभाग

(ii) सदस्य के अधीन तकनीकी इकाई

1. मूल्यांकन एवं निगरानी विभाग

(iii) सदस्य (विद्युत) के अधीन विद्युत इकाई

4.3 पदधारी

वर्ष 2020-21 के दौरान कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर पदधारियों का विवरण तालिका -4.3 में दिया गया है।

तालिका – 4.3

क्र.सं	पदनाम	नाम	अवधि
1	अध्यक्ष	श्री जे. चंद्रशेखर अय्यर (लिंक अधिकारी)	01-04-2020 से 31-05-2020
		श्री ए. परमेशम	01-06-2020 से 31-03-2021
2	सदस्य सचिव	श्री ए. परमेशम	01-04-2020 से 31-05-2020
		श्री एल.बी.मुआनथंग A/C	01.06.2020 से 30.06.2020
		श्री हरिकेश मीना (लिंक अधिकारी)	01.07.2020 से 27.09.2020
		श्री डी.एम. रायपुरे	28.09.2020 से 31.03.2021
3	सदस्य (विद्युत)	श्री एल.बी.मुआनथंग	01-04-2020 से 31-03-2021
4	सदस्य	श्री हरिकेश मीना	01-04-2020 से 31-03-2021

4.4 राज्य सरकारों द्वारा नामित बोर्ड के सदस्य

राज्य सरकारों की ओर से नामित बोर्ड के सदस्यों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

आंध्रप्रदेश सरकार		
1	सदस्य (प्रशासन)	श्री आदित्य नाथ दास, भा.प्र.से आंध्रप्रदेश सरकार के विशेष मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग
2	सदस्य (तकनीकी)	श्री सी. नारायणा रेड्डी प्रमुख अभियंता (आई), जल संसाधन विभाग
तेलंगाना सरकार		
1	सदस्य (प्रशासन)	श्री डॉ.रजत कुमार, भा.प्र.से तेलंगाना सरकार के विशेष मुख्य सचिव, सिंचाई और सीएडी विभाग
2	सदस्य (तकनीकी)	श्री सी. मुरलीधर प्रमुख अभियंता (आई), सिंचाई और सीएडी विभाग

4.5 अन्य अधिकारी/ बोर्ड के कार्यकर्ता

केंद्र सरकार के कर्मियों के अलावा, अधीक्षण अभियंता के स्तर से सहायक कार्यपालक अभियंताओं के स्तर के अन्य इंजीनियरिंग अधिकारी और निदेशक (वित्त) के स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक/अनुसचिवीय अधिकारियों को तेलंगाना, आँध्रप्रदेश और सीडब्ल्यूसी की सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति / परिवर्तन / ऋण के आधार पर तैनात किया जाता है।

दिनांक : 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में 23 कार्यरत हैं और उनका विवरण निम्न प्रकार है:

भारत सरकार	-- 4
आंध्र प्रदेश सरकार	-- 12
तेलंगाना सरकार	-- 7

बोर्ड सचिवालय का संगठन मानचित्र https://krmb.gov.in/krmb/orgChart लिंक पर उपलब्ध है।

अध्याय -5

बोर्ड की बैठकें

5.1 बोर्ड की बैठकें

वर्ष 2020-21 के दौरान, एक बोर्ड बैठक आयोजित की गई:

क्र.सं	बैठक	तारीख	अध्यक्ष
1	12वीं बोर्ड बैठक हैदराबाद पर	04.06.2020	ए. परमेशम, अध्यक्ष कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

बोर्ड की बारहवीं बैठक

बोर्ड की 12वीं बैठक 04.06.2020 को हैदराबाद में आयोजित की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

- आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों द्वारा मूल्यांकन के लिए कृष्णा बेसिन में जल संसाधन परियोजनाओं की डीपीआर प्रस्तुत करने के मुद्दे पर चर्चा की गई।

  अध्यक्ष ने कहा कि आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85 (8) (डी) और ग्यारहवीं अनुसूची की अनुच्छेद (7) के अनुसार,परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन, तकनीकी रूप से केआरएमबी / सीडब्ल्यूसी द्वारा मंजूरी प्राप्त किए बिना और शीर्ष परिषद द्वारा मंजूरी से पहले केआरएमबी द्वारा अनुशंसित किए बिना दोनों राज्य सरकारों द्वारा कोई नयी परियोजना शुरू नहीं की जा सकती।

  जल शक्ति मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों को दिए गए निर्देश को दोहराते हुए, अध्यक्ष ने दोनों राज्यों को तब तक परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ने का निर्देश दिया जब तक कि डीपीआर प्रस्तुत नहीं हो जाती और बोर्ड/सीडब्ल्यूसी द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जाता और शीर्ष परिषद द्वारा मंजूरी नहीं दे दी जाती।

  विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, दोनों राज्य सरकारों के सदस्यों ने कहा कि डीपीआर प्रस्तुत करने के मुद्दे से उनकी संबंधित राज्य सरकारों को अवगत कराया जाएगा और तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

- जल वर्ष 2020-21 के दौरान जल बंटवारे पर चर्चा की गई और दोनों राज्यों द्वारा जल उपयोग के संबंध में कुछ मुद्दे उठाए गए। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, अध्यक्ष, केआरएमबी ने कहा कि मुद्दों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी और तब तक समान व्यवस्था (यानी, अनुपात 66:34 (एपी: टीएस) लघु सिंचाई के तहत उपयोग, गोदावरी जल

का मोड़ और वाष्पीकरण हानि को छोड़कर) जारी रह सकती है, जिसके लिए दोनों राज्य सहमत हैं।

- टेलीमेट्री चरण-II के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। अध्यक्ष, केआरएमबी ने कहा कि केआरएमबी धन की कमी के कारण चरण- II टेलीमेट्री (9 नग) नहीं ले सका और कहा कि यदि सभी प्रमुख निर्गम में टेलीमेट्री अस्तित्व में आती है, तो अधिक पारदर्शिता होगी और जल लेखांकन के लिए आधार-सामग्री पर विचार किया जा सकता है।चर्चा के बाद, दोनों राज्यों के प्रशासनिक प्रतिनिधि केआरएमबी को अपेक्षित धनराशि जारी करने में तेजी लाने पर सहमत हुए।
- जल वर्ष 2020-21 के दौरान बिजली की साझेदारी पर चर्चा की गई और चर्चा के बाद दोनों राज्यों के सदस्य जल वर्ष 2020-21 के दौरान श्रीशैलम परियोजना में बिजली उत्पादन लाभों को 50:50 के अनुपात में साझा करने पर सहमत हुए।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केआरएमबी को बजट/फंड की आवश्यकता पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद, दोनों राज्यों के प्रशासनिक सदस्यों ने कहा कि वे अपने-अपने हिस्से की धनराशि शीघ्रता से जारी करेंगे।
- केआरएमबी मुख्यालय को विजयवाड़ा में स्थानांतरित करने पर चर्चा की गई और चर्चा के बाद अध्यक्ष ने कहा कि मामले में अंतिम निर्णय जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, आरडी और जीआर विभाग) द्वारा लिया जाना है और केआरएमबी, मंत्रालय के निर्णय का पालन करेगा।
- केआरएमबी के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना पर चर्चा की गई और अध्यक्ष ने बताया कि केआरएमबी द्वारा जल शक्ति मंत्रालय को केआरएमबी के अधिकार क्षेत्र पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इस मुद्दे को शीर्ष परिषद में विचार के लिए रखा जा सकता है।

5.2 तीन सदस्यीय समिति की बैठक एवं निर्णय

वर्ष 2020-21 के दौरान दोनों राज्यों के प्रमुख अभियंताओं और सदस्य सचिव, केआरएमबी की तीन सदस्यीय समिति की तीन (3) बैठकें आयोजित की गईं। जल रिलीज आदेश मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए थे।

i) पेयजल और सिंचाई की आवश्यकताएँ।

ii) जलाशयों में भंडारण की स्थिति।

iii) आकस्मिक लाभ के रूप में बिजली का उत्पादन।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि पानी के बंटवारे के लिए राज्यों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत समग्र अनुपात का पालन किया जायेगा।

तीन सदस्यीय समिति की बैठकों के निर्णयों के अनुसार, जल वर्ष 2020-21 के दौरान केआरएमबी द्वारा श्रीशैलम और नागार्जुनसागर की सामान्य परियोजनाओं से विभिन्न आउटलेटों से सिंचाई आवश्यकताओं और हैदराबाद शहर एवं चेन्नई शहर को पेयजल आपूर्ति के लिए तीन (03) जल रिहाई आदेश जारी किए गए थे।

5.3 चेन्नई शहर में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए कृष्णा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए समिति।

28 नवंबर 2017 को बेंगलुरु में आयोजित दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 10वीं बैठक के अनुसार, चेन्नई शहर में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए कृष्णा जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए MoWR, भारत सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति के गठन हेतु दिनांक 5 अक्टूबर, 2018 का आदेश **अनुलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

ए. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तत्कालीन आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय के बीच 1976 और 1977 के समझौतों के प्रासंगिक उद्धरण हैं:

(i) "महाराष्ट्र, कर्नाटक और तत्कालीन आंध्रप्रदेश को चेन्नई शहर में पेयजल की आपूर्ति के लिए हर साल 1 जुलाई से 31 अक्टूबर की अवधि के दौरान 5 टीएमसी पानी छोड़ना पड़ता है"।

(ii) तमिलनाडु सरकार 1 जुलाई से 31 अक्टूबर की अवधि के दौरान श्रीशैलम जलाशय से एक वर्ष में 15 टीएमसी से अधिक जल नहीं लेगी।

बी. तत्कालीन आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के बीच 1983 के समझौते का प्रासंगिक उद्धरण है:

आंध्रप्रदेश जुलाई से अक्टूबर की अवधि के दौरान 8 टीएमसी और जनवरी से अप्रैल की अवधि के दौरान 4 टीएमसी प्रदान करना सुनिश्चित करेगा।

वर्ष 2020-21 के दौरान, समिति की दो बैठकें क्रमशः 22-07-2020 (चौथी बैठक) और 19.01.2021 (पांच वीं बैठक) को समिति के अध्यक्ष यानी अध्यक्ष, केआरएमबी की अध्यक्षता में आयोजित की गईं। समिति की चौथी बैठक में निम्नलिखित निर्णय/चर्चाएँ की गई :

- पिछले वर्ष के दौरान ए.पी - टी.एन सीमा पर चेन्नई शहर को 8.0595 टीएमसी पानी की आपूर्ति की गई, जो 1996 में स्थापना के बाद से सबसे अधिक है।

- समिति का कार्य 1976, 1977 और 1983 के समझौतों के अनुसार चेन्नई शहर में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए कृष्णा जल की आपूर्ति के मुद्दे को हल करना है। समिति के कार्य में किसी भी राज्य पर जुर्माना लगाना शामिल नहीं है।

- आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु राज्य जल निकासी योजनाओं में तेजी लाएं और इसे जल्द से जल्द समिति को प्रस्तुत करें।
- महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना चेन्नई जल आपूर्ति को 15 टीएमसी पहुंचाने के लिए मुख्य अभियंता, आईएसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूआरडी, जीओएपी द्वारा प्रस्तावित पद्धति पर गौर करेंगे।

समिति की 5वीं बैठक में निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिये गये:

- आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थापित मौजूदा संयुक्त तंत्र चालू जल वर्ष के लिए सुविधाजनक तरीके से कार्यक्रम योजना तय करेगा।
- चेन्नई जल आपूर्ति और अन्य उपयोगों के लिए श्रीशैलम जलाशय में प्राप्त पानी की कुल मात्रा को अलग नहीं किया जा सकता है। यह जानने से उद्देश्य पूरा नहीं होता है कि श्रीशैलम जलाशय से कितनी मात्रा में पानी प्राप्त किया जा रहा है या निकाला जा रहा है या अन्य उपभोग्य उपयोगों के लिए उपयोग किया जा रहा है। मुख्य मुद्दा ए.पी.- टी.एन. सीमा पर चेन्नई शहर को पानी की सहमत मात्रा की आपूर्ति करना है।
- कर्नाटक और महाराष्ट्र के सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे जल शक्ति मंत्रालय से उचित निर्देश प्राप्त होने तक समिति का हिस्सा बने रहें।
- यह आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की जिम्मेदारी है कि चेन्नई शहर में पीने के पानी की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए पानी को संग्रहित करने और पानी छोड़े जाने को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र बनाने के लिए उचित उपाय करना।
- चेन्नई शहर को पानी की आपूर्ति के लिए तमिलनाडु में नहर के रखरखाव, श्रीशैलम से पूंडी जलाशय तक लगभग 400 किमी की नहर की लंबाई, सीमा स्तर, भंडारण क्षमता और पानी की उपलब्धता जैसी बाधाएँ शामिल हैं। यदि राज्यों ने अच्छे प्रयास किए, तो चालू जल वर्ष में चेन्नई शहर को सहमत मात्रा में पानी की आपूर्ति करने की संभावना है।
- श्रीशैलम जलाशय मूल रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के हित में है। मुख्य मुद्दा यह है कि चेन्नई शहर को पानी की सहमत मात्रा की आपूर्ति करने के लिए राज्यों को मिलकर काम करना होगा।
- श्रीशैलम में शुरुआती प्रवाह उतना सरल नहीं लगता जितना दिखता है, क्योंकि इसमें बेसिन राज्यों द्वारा वास्तविक उपयोग, सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निचले राज्यों की मांग, उनके नियोजित उपयोग, सूखे की स्थिति जिसमें पर्याप्त पानी उपलब्ध न होना, आदि शामिल है।
- वेलुगोडु, सोमासिला और कंडलेरू जलाशयों का डेटा समिति के पास उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यदि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच डेटा साझा करने की ऐसी व्यवस्था लागू की जाती है तो समिति इसका स्वागत करेगी।

- आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु राज्य नहर की परिवहन दक्षता में सुधार के लिए प्रक्रियाओं का पता लगाएंगे।
- अध्यक्ष ने मुख्य अभियंता, केजीबीओ, सीडब्ल्यूसी हैदराबाद से कृष्णा बेसिन में डेटा साझा करने का अनुरोध किया, खासकर उस हिस्से में जहां पानी तमिलनाडु की ओर बह रहा है।
- इस साल बहुत अच्छी बारिश होने के कारण सभी जलाशय भर गए और 1278 टीएमसी पानी अधिशेष बहकर समुद्र में चला गया। इस जल वर्ष 2020-21 के दौरान, श्रीशैलम जलाशय से 31.12.2020 तक चेन्नई जल आपूर्ति के लिए 6.941 टीएमसी की मात्रा जारी की गई और ए.पी.-टी.एन. सीमा में 5.553 टीएमसी की मात्रा प्राप्त की गई।

5.4 शीर्ष परिषद की बैठकें

शीर्ष परिषद की दूसरी बैठक 6 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, इस में श्री वै.एस. जगन मोहन रेड्डी, माननीय आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री के.चंद्रशेखर राव, DoWR, गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड और CWC के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक का समापन करते हुए, माननीय जल शक्ति मंत्री ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिए गए निर्णयों का सारांश दिया:

1. जीआरएमबी और केआरएमबी का क्षेत्राधिकार भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की। माननीय केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि एपीआरए-2014 के अनुसार ऐसी अधिसूचना केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है और इस प्रकार इसे एपीआरए-2014 के स्पष्ट आदेश के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

2. आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम 1956 की धारा-3 के तहत एक प्राधिकरण के लिए तेलंगाना के अनुरोध पर विचार करने के लिए, तेलंगाना को इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया मामला वापस लेना होगा। इस तरह का आश्वासन मिलने के बाद, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार इस पर कानूनी राय लेगी कि क्या एक नया ट्रिब्यूनल नियुक्त किया जाना है या मामले की सुनवाई के लिए KWDT-II को नई संदर्भ शर्तें जारी की जा सकती हैं। तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में मामला वापस लेने पर सहमत हुए।.

3. दोनों राज्य नई परियोजनाओं की डीपीआर मूल्यांकन और बाद में सर्वोच्च परिषद् द्वारा मंजूरी के लिए बोर्ड को तुरंत प्रस्तुत करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि मूल्यांकन कम से कम समय में किया जाएगा। दोनों माननीय मुख्यमंत्री डीपीआर प्रस्तुत करने पर सहमत हुए।

4. दोनों राज्यों की सहमति के अनुसार, केआरएमबी का मुख्यालय आंध्रप्रदेश में स्थानांतरित किया जाएगा।

अध्याय -6
प्रशासनिक मामलें

6.1 कार्य नियमावली

आंध्रप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 88 के अनुसार, बोर्ड अधिनियम के तहत और वहाँ बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकता है।

क) बोर्ड की बैठकों के समय और स्थान एवं ऐसी बैठकों में कार्य संचालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना;

ख) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन;

ग) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों की नियुक्ति और विनियमन करना ;

घ) कोई अन्य मामला जिसके लिए बोर्ड द्वारा नियमों को आवश्यक माना जाता है।

तदनुसार, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) ने मसौदा कार्य नियमावली तैयार की, जिसमें बोर्ड के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक नियम, व्यवसाय के संचालन की प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करना, कर्मचारियों की आवश्यकता आदि शामिल हैं।

09.08.2019 को आयोजित कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की 10वीं बैठक में और 09.01.2020 को आयोजित 11वीं बोर्ड बैठक में एजेंडा आइटम 11.5 के रूप में दोनों राज्य सरकारों से पहले के मसौदे पर टिप्पणी प्राप्त करने के बाद कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का एक मसौदा कार्य नियमावली रखा गया था। कार्य नियमावली को अंतिम रूप देने के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए दोनों बोर्डों यानी केआरएमबी और जीआरएमबी की संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

09.01.2020 को आयोजित 11वीं बोर्ड बैठक में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की कार्य नियमावली 2019 को एजेंडा 11.5 के रूप में रखा गया था और कार्य नियमावली को अंतिम रूप देने के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए दोनों बोर्डों (यानी, केआरएमबी और जीआरएमबी) की एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

6.2 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड वेबसाइट

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट डोमेन नाम krmb.gov.in को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सर्वर में बनाए रखा जा रही है। इस वेबसाइट में सभी परियोजना प्राधिकरणों को, जलाशयों के प्रवाह और बहिर्प्रवाह के दैनिक डेटा अपलोड करना आवश्यक है। तदनुसार, दोनों राज्यों के जल उपयोग खाते पर भी यह प्रभावी होंगी।

6.3 ई –गवर्नेंस

ई-गवर्नेंस का लक्ष्य नागरिकों को कुशल और किफायती तरीके से विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। भारत सरकार ने कई डिजिटल इंडिया घटकों की शुरुआत की है।

डिजिटल इंडिया के निम्नलिखित घटकों को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

ई-ख़रीददारी: सरकार ने 01.04.2016 से 2.00 लाख रुपये की न्यूनतम निविदा मूल्य सीमा के साथ की गई सभी खरीदों की ई-खरीद शुरू करने की पहल की। तदनुसार, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा **https://eprocure.gov.in** के माध्यम से ई-निविदा की प्रक्रिया द्वारा खरीद की जाती है।

ई-समीक्षा सॉफ्टवेयर: ई- समीक्षा कैबिनेट सचिवालय में आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए एक वास्तविक समय ऑनलाइन प्रणाली है। मंत्रालय के सभी संगठनों में ई-समीक्षा सॉफ्टवेयर के कार्यान्वियन के लिए, केआरएमबी ने अपना नोडल अधिकारी को नामित किया था और ई-समीक्षा सॉफ्टवेयर सिस्टम में पंजीकरण के लिए जल शक्ति मंत्रालय को सूचित किया था।

सरकारी ई–बाजार (GeM): विभिन्न सरकारी विभागों / संगठनों / सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए **GeM** वन-स्टॉप पोर्टल है। GeM का उद्देश्य खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति बढ़ाना है। सरकारी उपयोगकर्ताओं द्वारा GEM के माध्यम से खरीदारी को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में एक नया नियम संख्या 149 जोड़कर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिकृत और अनिवार्य कर दिया गया है। तब से कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में GeM के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाती है।

कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (LIMBS): LIMBS को ई-गवर्नेंस पहल के एक भाग के रूप में विभिन्न अदालतों / प्राधिकरणों में लंबित सभी मामलों का एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाना है। एक बार पूरा हो जाने के बाद, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों और अन्य संगठनों द्वारा संभाले जा रहे सभी अदालतों / अधिकरण मामलों से संबंधित जानकारी एक ही वेब - आधारित ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध होगी। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड वर्ष 2018 से **LIMBS** वेबसाइट पर डेटा अपलोड कर रहा है।

6.4 मूलभूत सुविधाएँ / कार्यालय परिसर

बोर्ड के लिए मूलभूत सुविधाएँ / कार्यालय परिसर का प्रदान तेलंगाना सरकार द्वारा जल सौधा बिल्डिंग 5वीं मंजिल में, एर्रममंजिल, हैदराबाद में किया गया था। ।

अध्याय – 7
वित्तीय मामलें

7.1 वित्तीय प्रावधान

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 86 (2) के अनुसरण में, आंध्रप्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार बोर्ड के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक सभी खर्चों को पूरा करने के लिए बोर्ड को हर समय आवश्यक धनराशि प्रदान करेगा और ऐसी राशि को संबंधित राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में विभाजित किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार, लाभों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रत्येक राज्य पर निर्दिष्ट करें।

प्रारंभ में, केआरएमबी के संबंध में किए गए व्यय को आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा पीएओ, विजयवाड़ा के माध्यम से एचओडी, मुख्य अभियंता, कृष्णा डेल्टा सिस्टम, विजयवाड़ा के तहत संसाधित किया गया था। हालाँकि, इस प्रक्रिया के माध्यम से बिलों (वेतन बिलों सहित) के समय पर निपटान के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

इसलिए 16 दिसंबर, 2015 को आयोजित बोर्ड की तीसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि, दोनों राज्य बजट निधि जमा करेंगे और इस प्रकार बोर्ड को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए।

आंध्रप्रदेश सरकार हर साल वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान के अनुसार पूरी राशि जमा करेगी। तेलंगाना सरकार का हिस्सा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जाएगा।

बचत बैंक खाता बोर्ड सचिवालय द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाएगा क्योंकि अध्यक्ष चिन्हित कार्यों के लिए राशि का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। वह बोर्ड सचिवालय के भीतर वित्त के संचालन को सौंप सकता है।

सभी लेनदेन दो हस्ताक्षरों के तहत संयुक्त रूप से किए जाएंगे। निदेशक (वित्त) और आहरण एवं संवितरण अधिकारी हस्ताक्षरकर्ता हैं।

वर्ष के अंत में जो अनुपयोगी बची धनराशि हो, वे सुरक्षित है और इसे अगले वर्ष में समायोजित किया जाएगा।

बोर्ड सचिवालय खर्चों का वार्षिक लेखा-जोखा बोर्ड के समक्ष रखेगा। बोर्ड के खाते राज्य / केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट किया जाता है।

22 अगस्त 2017 को आयोजित बोर्ड की 6वीं बैठक के दौरान, बोर्ड ने कम से कम रू.10.00 करोड़ का आरक्षित कोष रखने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड धीरे-धीरे अनुमोदित / आवंटित निधि से बचत से आरक्षित निधि का निर्माण कर सकता है, जो प्रति वर्ष अधिकतम रू.1.00 करोड़ होगी।

6 जून, 2018 को आयोजित बोर्ड की 8वीं बैठक में, दोनों राज्यों के बीच व्यय के हिस्से के बंटवारे और आंध्र प्रदेश को प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया से बचने के लिए, जिसमें समय लगता है, इस बात पर सहमति हुई कि, दोनों राज्य सरकारें वित्तीय वर्ष 2018-19 से बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान समान अनुपात (50:50) में साझा करेंगी ।

हालाँकि, 16 अक्टूबर, 2018 को आयोजित बोर्ड की 9वीं बैठक में, मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर, यह निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश राज्य त्रैमासिक रूप से केआरएमबी की पूर्ण बजट आवश्यकता जारी करेगा। तेलंगाना सरकार उचित लेखांकन के लिए बाद में कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से अपने हिस्से का 50% प्रतिपूर्ति करेगा। इसके साथ ही बोर्ड की पिछली बैठक का निर्णय निरस्त हो गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड द्वारा रू. 16.75 करोड़ के बजट अनुमान को मंजूरी दी गई। वित्तीय वर्ष के दौरान 2020-21, तेलंगाना सरकार ने रू.4.50 करोड़ और आंध्रप्रदेश सरकार से कोई धनराशी जारी नहीं की गई । वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड द्वारा बजट अनुमान, जारी धनराशि और किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बजट अनुमान, प्राप्त धनराशि एवं व्यय का विवरण :

(रू. लाखों में)

क्र.सं	ब्यौरा	राशी
I.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान/ संशोधित अनुमान	1675.00
II.	2020-21 के दौरान जारी बजट की राशि	450.00
III.	2020-21 के दौरान व्यय	528.08
IV.	31.3.2021 को शेष पिछले वर्ष की बचत राशि सहित (भारत सरकार से अनुदान को छोड़कर)	472.14

नोट: MOWR, RD & GR पत्र संख्या : R.160011/8/2014-Pen.Riv/009 दि : 16.12.2014 के माध्यम से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार से धन प्राप्त करने पर बोर्ड द्वारा प्रतिपूर्ति की जाने वाली प्रारंभिक राशि के रूप में रू.1.00 करोड़ का एकमुश्त अनुदान प्राप्त हुई थी।

7.2 ख़रीददारी

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड सभी आवश्यक वस्तुओं की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और स्थानीय बाजार के माध्यम से करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खरीदी गए प्रमुख मदों में कंप्यूटर और सहायक उपकरण थे।

7.3 लेखा परीक्षण (ऑडिट)

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड सीधे दोनों राज्यों के शीर्ष खातों के संचालन नहीं कर रहा है। हालाँकि, वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए केआरएमबी के खातों का लेखा-परीक्षा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, प्रधान निदेशक(AF&WR) चेन्नई शाखा कार्यालय, चेटपेट, चेन्नई द्वारा किया गया था। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के उत्तर भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, महानिदेशक लेखापरीक्षा कार्यालय, वैज्ञानिक विभाग, बंगलौर को प्रस्तुत किए गए थे। अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है।

अध्याय -8

तकनीकी मामले

8.1 जल प्रबंधन

आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे की व्यवस्था।

कृष्णा बेसिन में आंध्रप्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार के बीच पानी के एक अस्थायी वितरण पर 18-19 जून, 2015 को नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, आरडी और जीआर की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति हुई थी (बैठक का कार्यवृत्त की एक प्रति अनुलग्नक-V पर है)। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) द्वारा जल उपयोग के विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। बैठक में आंध्र प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव और तेलंगाना सरकार के आई और सीएडी विभाग के प्रधान सचिव ने भाग लिया।

बैठक में, 811 टीएमसी जल (तत्कालीन आंध्रप्रदेश राज्य को विभिन्न परियोजनाओं में उपयोग के लिए केडब्ल्यूडीटी द्वारा (आवंटित ब्लॉक) की मात्रा को तेलंगाना के लिए 298.96 टीएमसी और आंध्र प्रदेश के लिए 512.04 टीएमसी जल के रूप में साझा करने पर सहमति हुई। इस बात पर सहमति हुई कि वर्त्तमान वर्ष के लिए 811 टीएमसी के आवंटन के बाद उपलब्ध पानी की मात्रा को आनुपातिक रूप से साझा किया जाएगा। इसी तरह, 811 टीएमसी से नीचे का घाटा भी तदनुसार साझा किया जाएगा। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच अनुपात 63.13: 36.87 है।

18-19 जून, 2015 को संपन्न बैठक में इस बात पर भी सहमति हुई कि दोनों राज्यों के मुख्य अभियंताओं और केआरएमबी के सदस्य सचिव सहित एक तीन सदस्यीय समिति समय-समय पर पानी की उपलब्धता और आवश्यकताओं का आकलन करते हुए राज्यों द्वारा उठायी जानेवाली जल संबंधी मांगों का निपटान करेगी। केआरएमबी द्वारा लिया गया निर्णय संबंधित राज्य परियोजना अधिकारियों द्वारा लागू किया जाएगा।

21.09.2016 को आयोजित पहली शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान, दोनों राज्य 2015-16 और वर्ष 2016-17 के लिए भी जल बंटवारे की कार्यशील व्यवस्था जारी रखने पर सहमत हुए।

04.11.2017 को आयोजित बोर्ड की 7वीं बैठक में, बोर्ड ने जल वर्ष 2017-18 के लिए एपी और टीएस के लिए कृष्णा जल को 66:34 के अनुपात में साझा करने का निर्णय लिया।

इसके बाद, जल वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए 66:34 (एपी : टीएस) का अनुपात अपनाया गया है।

8.2 जल उपयोग का विवरण

जल वर्ष 2020-21 के दौरान दोनों राज्यों द्वारा जल का उपयोग।

कृष्णा बेसिन में उपयोगिताएँ:

कृष्णा बेसिन में, जल वर्ष 2020-21 के दौरान, दोनों राज्यों द्वारा कुल उपयोग 872.170 टीएमसी है, जिसमें से आंध्रप्रदेश का उपयोग 618.935 टीएमसी और तेलंगाना राज्य का उपयोग 253.235 टीएमसी है।

दो कॉमन जलाशयों में उपयोग:

जल वर्ष 2020-21 के दौरान, दोनों राज्यों द्वारा नीलम संजीव रेड्डी सागर (श्रीशैलम) और नागार्जुन सागर परियोजना से 723.89 टीएमसी पानी लिया गया। इसमें से 205.66 टीएमसी श्रीशैलम जलाशय से और 518.724 टीएमसी नागार्जुन सागर से निकाली गई थी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा इन जलाशयों से नहर / योजना-वार जल की निकासी अनुलग्नक -VI में संलग्न है।

श्रीशैलम और नागार्जुनसागर परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2020-21 के दौरान जलाशय स्तर और भंडारण प्लेट-I और प्लेट-II में दर्शाए गए हैं।

8.3 कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के तहत टेलीमेट्री प्रणाली का कार्यान्वयन

चरण – 1

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने 21-22 जून, 2016 को आयोजित MoWR, RD & GR की बैठक और 21 सितंबर, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित शीर्ष परिषद की पहली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, कृष्णा बेसिन में आंध्रप्रदेश और तेलंगाना की विभिन्न परियोजनाओं के प्रवाह और बहिर्वाह का वास्तविक आंकड़े रखने के लिए टेलीमेट्री प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

कुल मिलाकर, चरण-I में जूराला, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर परियोजनाओं के विभिन्न स्थानों पर 18 टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित किए गए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र सं.	टेलीमेट्रो स्टेशन का नाम	सेंसार का प्रकार	एपी / टीएस क्षेत्रीय मंडल की प्रभारी
1	अक्कमपल्ली बैलेंसिंग जलाशय से जुड़ने वाली लिंक नहर के किमी 1.10 पर एएमआरपी लिफ्ट योजना	लेवल सेंसर	एएमआर एसएलबीसी डिविजन, अंगडिपेटा।
2	नागार्जुन सागर परियोजना (एनएसपी) बांध पर डायवर्जन सुरंग इंटेक टॉवर		बांध रखरखाव प्रभाग, हिल कॉलोनी, एनएसपी बांध
3	हेडरेगुलेटर के एनेस्पी राईट बैंक नहर 0.44 कीमी पर	लेवल सह वेग सेंसर	निगरानी प्रभाग, लिंगमगुंटला
4	सुरंग में पानी के प्रवेश बिंदु के पास एनएसपी बायीं तट नहर		एनएससी निगरानी प्रभाग, टेकुलपल्ली, खम्मम

5	एनएसपी एलबीसी के किमी 136.345. पर अपस्ट्रीम में पालेरू जलाशय इनकी संरचना	लेवल सह वेग सेंसर	एनएससी निगरानी प्रभाग, टेकुलपल्ली, खम्मम
6	एनएसएलसी और पावर हाउस आवुटत्लेट के संगम से 0.20 किमी की दूर पर पालेरू जलाशय	लेवल सेंसर	
7	एनएसपी एलबीसी किमी 101.362 पर आंध्रप्रदेश तेलंगाना सीमा	लेवल सेंसर	एनएसएलबीसी ओ एंड एम डिवीज़न, नुज़िवीडु
8	महात्मा गांधी कलवाकुर्थी लिफ्ट इरिगेशन योजना (एमजीकेएलआईएस) सिस्टर्न पर ।	लेवल सेंसर	एमजीकेएलआईएस डिवीजन-1, नागर कर्नूल, महबूब नगर
9	श्रीशैलम जलाशय ब्लॉक 17/18 के पास		बाँध रखरखाव प्रभाग, एनएसआरएसएसपी
10	पोतिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर के एसआरएमसी के एसएलबी किमी 12.265 पर	लेवल सहित वेग सेंसर	टीजीपी डिस्ट्रीब्यूटरी डिविजन-1, नंद्याल
11	हंद्री नीवा सुजल स्रवंति (HNSS) LI योजना पर पुराने पंप हाउस के कल्वर्ट के पास किमी (-) 1.62	लेवल सेंसर	प्रभाग-02, एचएनएसएस, डब्ल्यूआरडी, कर्नूल
12	जूराला जलाशय		पीजेपी बांध डिवीजन नंबर-2, नंदिमला
13	जूराला दाहिनी मुख्य नहर हेड रेगुलेटर के पास		पीजेपी निष्पादन प्रभाग क्रमांक-2, गद्वाल
14	जूराला बायीं मुख्य नहर हेड रेगुलेटर के पास	लेवल सेंसर	पीजेपी बांध डिवीजन नंबर-2, नंदिमला
15	जूराला बाईं समानांतर नहर हेड रेगुलेटर के पास		आरबीएल-II, एचडब्ल्यू और नहर प्रभाग, संगमबंडा कैंप, मक्तल, महबूबनगर।
16	भीमा एलआई योजना - । लिफ्ट बिंदु पर		
17	कोइल सागर एलआई योजना लिफ्ट के पास		
18	नेट्टमपाडु एलआई योजना लिफ्ट बिंदु पर	लेवल सहित वेग सेंसर	पीजेपी निष्पादन प्रभाग क्रमांक-2, गद्वाल

चरण -1 टेलीमेट्री स्टेशनों के सभी 18 नंबर 2 साल की वारंटी और 5 साल की एएमसी के अंतर्गत आते हैं और एजेंसी मेसर्स मेक्ट्रोनिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, पुणे वारंटी और एएमसी का कार्य कर रही है।

सभी 18 टेलीमेट्री स्टेशनों का रिमोट डेटा केआरएमबी, हैदराबाद के मॉडल केंद्र में प्राप्त किया जा रहा है।

पोतिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर
अनुप्रवाह पर गैर-संपर्क जल स्तर सह वेग सेंसर

नागार्जुन सागर परियोजना जलाशय में टेलीमेट्री स्टेशन

कोयिल सागर एलआईएस में टेलीमेट्री स्टेशन

8.4 जल विद्युत

दोनों राज्यों में कृष्णा नदी पर,जल विद्युत संयंत्र प्रियदर्शनी जुराला, लोअर जुराला, श्रीशैलम दायां किनारा पावर हाउस, श्रीशैलम लेफ्ट बैंक पावर हाउस, नागार्जुन सागर बांध पावर हाउस, नागार्जुन सागर दाहिनी कैनाल पावर हाउस,नागार्जुन सागर बाएं कैनाल पावर हाउस, नागार्जुन सागर पूँछ तालाब बिजली घर और पुलिचिंतला बिजली घर स्थित हैं। आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कृष्णा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण ऊर्ध्व प्रवाह से अनुप्रवाह तक स्थान के क्रम में **अनुलग्नक -VII** में दिया गया है। वर्तमान में, इन्हें संयंत्रों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा संचालित किया जाता है।

18-19 जून, 2015 को अतिरिक्त सचिव, एमओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर, नई दिल्ली द्वारा ली गई बैठक में दोनों राज्य इस बात पर सहमत हुए कि बिजली उत्पादन के लिए रिलीज करते समय नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जलाशय के लिए प्रतिबद्ध उपयोग **अनुलग्नक - V** के परिशिष्ट में जो उल्लिखित है वो सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा, दोनों राज्य 50:50 के अनुपात में बिजली लाभ प्राप्त करने के लिए श्रीशैलम के बिजली केंद्र से पानी छोड़ने पर भी सहमत हुए हैं।

जल वर्ष 2020-21 के दौरान कृष्णा नदी पर विभिन्न बिजली संयंत्रों का जल विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट) निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

महीना	प्रियदर्शिनी जूराला	निचली जूराला	श्रीशैलम आरबी	श्रीशैलम एल बी	नागार्जुन सागर परियोजना	नागार्जुन सागर आरबी सी	नागार्जुन सागर एलबीसी	एन एस टेल पाँड	पुलिचिंतला
जून-20	0.000	0.000	0.023	0.501	10.474	0.000	0.000	0.105	0.000
जुलाई-20	56.966	64.321	0.345	248.644	7.715	0.000	0.000	2.448	0.973
अगस्त-20	86.688	87.691	163.634	399.386	156.348	7.455	12.293	6.469	15.441
सितंबर-20	97.699	110.270	373.005	0.000	353.619	26.615	10.582	8.551	38.628
अक्टूबर-20	84.882	89.625	402.627	44.144	451.251	23.563	18.687	16.924	41.557
नवंबर-20	43.043	48.546	75.481	181.889	62.251	25.062	14.835	10.742	28.299
दिसंबर-20	1.225	1.964	0.132	38.006	6.194	23.099	17.943	1.581	11.298
जनवरी-21	0.000	0.372	3.996	63.116	65.938	21.926	16.832	2.381	21.989
फरवरी– 21	0.000	0.000	25.508	97.948	67.377	15.062	6.358	1.535	17.841
मार्च-21	0.000	0.278	83.671	129.754	67.544	9.360	1.485	3.111	22.561
अप्रैल-21	0.000	0.209	17.541	19.168	37.514	3.496	0.000	1.835	8.682
मई-21	0.000	0.000	0.000	0.641	28.927	0.000	0.000	0.994	2.535
कुल	**370.503**	**403.276**	**1145.963**	**1223.197**	**1315.152**	**155.638**	**99.015**	**56.676**	**209.804**

बिजली उत्पादन के लिए श्रीशैलम और नागार्जुनसागर परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2020-21 के दौरान पानी का उपयोग **प्लेट-III और प्लेट-IV** में दिया गया है।

8.5 अंतरराज्यीय परियोजनाओं से उत्पन्न विद्युत का विनियमन

आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 85(8)(बी) के अनुसार, केआरएमबी को वर्तमान आंध्रप्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के साथ किसी भी समझौते या व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विद्युत् वितरण के प्रभारी प्राधिकारी को उत्पन्न विद्युत् की आपूर्ति का विनियमन करना आवश्यक है।

तुंगभद्रा परियोजना को पूरा करने और इसके संचालन और रखरखाव के लिए आंध्रप्रदेश राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 66 की उपधारा (4) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अलग "तुंगभद्रा बोर्ड" का गठन किया गया है।

तुंगभद्रा अंतरराज्यीय विद्युत परियोजना में तुंगभद्रा नदी पर दो अंतरराज्यीय विद्युत गृह (जैसे हम्पी विद्युत गृह - **4x9** मेगावाट और तुंगभद्रा बांध विद्युत गृह - **4x9** मेगावाट) हैं। इससे पूर्व उत्पादित बिजली कर्नाटक और अविभाजित आंध्रप्रदेश राज्यों के बीच साझा की जा रही थी।

8.6. तकनीकी समितियाँ

I. आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों को आपूर्ति के लिए कृष्णा नदी पर मुख्य स्टेम परियोजनाओं से बहनेवाले मानसून अवधि के दौरान अधिशेष पानी के विनियमन के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया।

21.01.2020 को नई दिल्ली में जल संसाधन विभाग, आरडी और जीआर के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श के अनुसार, डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर द्वारा मुख्य अभियंता, आईएमओ, सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में जल शक्ति मंत्रालय आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों को आपूर्ति के लिए कृष्णा नदी पर मुख्य स्टेम परियोजनाओं से बहनेवाले मानसून अवधि के दौरान अधिशेष पानी के विनियमन के लिए एक समिति का गठन किया गया था।

नतीजतन, मुख्य अभियंता, आईएमओ, आईएसएम-डीटीई, सीडब्ल्यूसी ने विश्लेषण के लिए कुछ हाइड्रोलॉजिकल डेटा/जानकारी तत्काल प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। तदनुसार, मुख्य अभियंता, आईएसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूआरडी, जीओएपी ने कुछ डेटा प्रस्तुत किया। तेलंगाना ने इस संबंध में कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया है।

इसके अलावा, 13.05.2020 को आयोजित उक्त समिति की पहली बैठक में, दोनों राज्य 31.05.2020 तक डेटा प्रस्तुत करने पर सहमत हुए। साथ ही 04.06.2020 को आयोजित बोर्ड की 12 वीं बैठक के

दौरान भी इस मामले पर चर्चा की गई। अध्यक्ष, केआरएमबी ने दोनों राज्यों से समिति को सभी अपेक्षित डेटा तुरंत प्रस्तुत करने के लिए कहा।

दिनांक 12.08.2020 और 08.09.2020 के पत्रों के माध्यम से मुख्य अभियंता, आईएसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूआरडी, जीओएपी से प्राप्त पत्रों में यह सूचित किया गया था कि दिनांक 12.08.2020 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत आंध्रप्रदेश राज्य के रुख के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट ही, विषयगत समस्या के समाधान हेतु, पर्याप्त होगी।

तेलंगाना सरकार ने दिनांक 17.09.2020 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि तेलंगाना सरकार स्पिल्लिंग अवधि के दौरान डायवर्ट किए गए पानी का हिसाब न देने के लिए आंध्र प्रदेश द्वारा दिए गए प्रस्ताव से सहमत नहीं है।

केआरएमबी ने दिनांक 07.10.2020 के पत्र के माध्यम से वरिष्ठ संयुक्त सचिव को आयुक्त (पीआर), डीओडब्ल्यूआर, आरडी एंड जीआर, एमओजेएस को संबोधित किए GOTS से प्राप्त उपरोक्त पत्र दिनांक 17-09-2020 को विधिवत विषय मुद्दे की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया।

जवाब में, निदेशक, आईएसएम-1 डीटीई, सीडब्ल्यूसी से दिनांक 15.10.2020 का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें जीओटीएस पत्र दिनांक 17.09.2020 पर बिंदुवार टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गई थीं। इसके अलावा, पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि, अपेक्षित डेटा के अभाव में, मानसून अवधि के दौरान विभिन्न निर्भरता पर अधिशेष जल की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक अध्ययन / विश्लेषण नहीं किया जा सका और इसलिए, समिति की दूसरी बैठक नहीं बुलाई जा सकी। यह भी बताया गया कि वर्तमान तकनीकी समिति द्वारा मानसून अवधि के दौरान अधिशेष जल के विनियमन की सिफारिश केडब्ल्यूडीटी-II के अंतिम निर्णय के प्रभावी होने तक एक अस्थायी व्यवस्था होगी और उस स्थिति में, इस मुद्दे पर ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केआरएमबी ने दिनांक 22.02.2021 के पत्रों के माध्यम से एक बार फिर दोनों राज्यों से अपेक्षित जानकारी / डेटा प्रस्तुत करने में तेजी लाने का अनुरोध किया।.

जवाब में, इंजीनियर-इन-चीफ (सामान्य), आई एंड सीएडी विभाग, तेलंगाना सरकार ने दिनांक 01.03.2021 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि समिति को किसी भी डेटा की आपूर्ति में यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि आंध्रप्रदेश की डायवर्जन क्षमताएं तेलंगाना से कहीं अधिक हैं। यह पत्र सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए केआरएमबी पत्र दिनांक 12.03.2021 के माध्यम से सीई, आईएमओ, सीडब्ल्यूसी को सूचित किया गया था।

II. आवंटन की योजना-ए के तहत केडब्ल्यूडीटी-I द्वारा दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में तेलंगाना द्वारा पानी के अप्रयुक्त हिस्से को अगले जल वर्ष में ले जाना और पिछले जल वर्ष में लेखांकन

तेलंगाना सरकार ने दिनांक 03.06.2020 के पत्र के माध्यम से केआरएमबी से इस आइटम को 12वीं बोर्ड बैठक में चर्चा के लिए रखने का अनुरोध किया। 04.06.2020 को आयोजित केआरएमबी की 12वीं बैठक के एजेंडा आइटम 12.8.6 के तहत विस्तृत चर्चा के बाद, अध्यक्ष ने कहा कि केआरएमबी द्वारा एपी के विचार मांगे जाएंगे।

तदनुसार, इस मुद्दे पर आंध्रप्रदेश के विचार मांगे गए थे, जिन्हें उनके पत्र दिनांक 25.06.2020 के माध्यम से अवगत कराया गया था, जिसमें कहा गया था कि 'अतिरिक्त / अप्रयुक्त जल भंडारण दोनों राज्यों के लिए कॉमन भंडारण बन जाता है और इसे आंध्र प्रदेश राज्य के सा थ साझा करने की आवश्यकता है।'

आंध्रप्रदेश सरकार के विचारों को केआरएमबी पत्र दिनांक 29.06.2020 के माध्यम से तेलंगाना को सूचित किया गया था। हालाँकि, तेलंगाना ने अपने पत्र दिनांक 23.07.2020 में वही रुख दोहराया जो उनके पत्र दिनांक 03.06.2020 में दिया गया था।

चूंकि सर्वसम्मति नहीं होने के कारण इस मुद्दे को हल नहीं किया जा सका, इसलिए मामले को केआरएमबी के पत्र दिनांक 14.08.2020 के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया और अनुरोध किया गया कि इसे सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली को संदर्भित किया जाए क्योंकि हल किए जाने वाले मुद्दे में मुख्य रूप से अंतर-राज्यीय मामले और जल विज्ञान शामिल है, जिसमें सीडब्ल्यूसी के पास विशेषज्ञता और विशेष निर्देशिकाएं / संगठन है।

सीडब्ल्यूसी के विचार दिनांक 17.09.2020 के पत्र के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय के पत्र दिनांक 08.10.2020 के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि "चूंकि केडब्ल्यूडीटी-I का आवंटन विभाजन से पहले दिया गया था और संयुक्त आंध्रप्रदेश को एक पार्टी के रूप में माना गया था, इसलिए, केडब्ल्यूडीटी-I के किसी भी खंड को उद्धृत करना विभाजित आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि दोनों राज्य इसे पारस्परिक रूप से या केआरएमबी के मार्गदर्शन में हल करने के लिए सहमत न हों।

इसके अलावा, *KWDT-I* के पुरस्कार की समीक्षा के लिए *KWDT-II* का गठन पहले ही अप्रैल, *2004* में किया जा चुका है और *KWDT-II* का कार्यकाल आंध्रप्रदेश के बीच परियोजना-वार विशिष्ट आवंटन करने के लिए एपी पुनर्गठन अधिनियम, *2014* के खंड *89* के अनुसार बढ़ाया गया था। चूंकि, *KWDT-II* ने मामले को अपने कब्जे में ले लिया है और इसके फैसले को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए कोई भी पीड़ित राज्य स्थायी समाधान के लिए इस मुद्दे को *KWDT-II* को संदर्भित करने पर विचार कर सकता है।

इसे केआरएमबी पत्र दिनांक 03.11.2020 के माध्यम से दोनों राज्यों को सूचित किया गया था। हालाँकि, तेलंगाना ने अपने पत्र दिनांक 08.12.2020 के माध्यम से इसके लिए सहमति नहीं जताई और सीडब्ल्यूसी के विचारों पर कुछ टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं।

इसलिए, तेलंगाना के सरकार की टिप्पणियों को संलग्न करते हुए केआरएमबी पत्र दिनांक 31.12.2020 के माध्यम से फिर से मंत्रालय के विचार मांगे गए। जवाब में सीडब्ल्यूसी के विचार दिनांक 03.02.2021 के पत्र के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय के पत्र दिनांक 08.02.2021 के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिसमें यह सूचित किया गया था कि विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद, सीडब्ल्यूसी के अंतिम विचारों को दिनांक 17.09.2020 पत्र के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है और वही दोहराया जाता है।

इतने में, तेलंगाना सरकार ने फिर से 19.02.2021 को दिनांकित पत्र दिया है । इस संबंध में, दिनांक 08.02.2021 के पत्र के माध्यम से प्राप्त MoJS / CWC के विचारों को तेलंगाना के सरकार को केआरएमबी पत्र दिनांक 01.03.2021 द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचित किया गया था।

जवाब में, ENC (सामान्य), I&CAD विभाग, तेलंगाना सरकार दिनांक 26.03.2021 के पत्र के माध्यम से MoJS/CWC के विचारों से सहमत नहीं थे। इस संदर्भ में, केआरएमबी ने ईएनसी, टीएस को संबोधित अपने पत्र दिनांक 01.04.2021 के माध्यम से सूचित किया कि सीडब्ल्यूसी / एमओजेएस द्वारा व्यक्त किए गए विचार / रुख को केआरएमबी पत्र दिनांक 01.03.2021 के माध्यम से पहले ही अवगत करा दिया गया था और इस कार्यालय के पास इसमें जोड़ने के लिए और कुछ विषय - वस्तु नहीं है। हालांकि, इस मामले पर केआरएमबी की अगली बैठक में चर्चा हो सकती है।

III. KWDT-I के अंतिम आदेश के खंड VII के अनुसार हैदराबाद मेट्रो जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (HMWS&SB) के लिए घरेलू और नगरपालिका जल आपूर्ति के लिए उपयोग किए गए केवल 20% पानी का लेखांकन

KWDT-I के अंतिम आदेश के खंड-VII में कहा गया है कि घरेलू और नगरपालिका जल आपूर्ति के लिए उपयोग को "नदी या उसकी किसी सहायक नदी या किसी जलाशय, भंडारण या नहर से निकाले गए या उठाए गए पानी की मात्रा का 20 प्रतिशत" से मापा जाएगा।

उपरोक्त खंड का हवाला देते हुए, तेलंगाना सरकार हैदराबाद शहर को घरेलू और नगरपालिका जल आपूर्ति में केवल 20% पानी के उपयोग का हिसाब देने का अनुरोध कर रही है।

उपरोक्त खंड के संबंध में, आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि केडब्ल्यूडीटी-I के अंतिम आदेश में शामिल खंड VII घरेलू और नगरपालिका जल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग किसी भी जलाशय से निकाले गए या नदी से उठाया गए पानी की मात्रा के लेखांकन के तरीके का प्रावधान करता है। जहाँ घरेलू और नगरपालिका जल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए डायवर्ट या उठाए गए पानी के लेखांकन के लिए कोई विशिष्ट या प्रत्यक्ष माप उपकरण नहीं हैं । हालाँकि, जहां डायवर्जन विशेष रूप से घरेलू और नगरपालिका जल आपूर्ति और औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है और ऐसे विशिष्ट डायवर्जन के

लिए माप किया जाता है, तो मापी गई मात्रा को ऐसे निर्दिष्ट उपयोग के लिए वास्तविक डायवर्जन के रूप में माना जाएगा और ऐसे मामले में खंड VII अतिश्योक्तिपूर्ण है।

इस मुद्दे पर बोर्ड की विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई। बोर्ड की 8वीं बैठक में, केआरएमबी ने दोनों राज्य सरकारों से अनुरोध किया कि वे अंतिम विचार लेने में सक्षम बनाने के लिए अध्यक्ष, केआरएमबी को अपने विचार प्रस्तुत करें। फिर, अध्यक्ष, केआरएमबी ने दोनों राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों का अध्ययन करने के बाद दिनांक 17.07.2018 को अपने विचार प्रस्तुत किए।

हालाँकि, मुद्दा हल नहीं हो सका और इसे 09.01.2020 को आयोजित केआरएमबी की 11वीं बैठक और 04.06.2020 को आयोजित केआरएमबी की 12वीं बैठक में फिर से उठाया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे को सीडब्ल्यूसी को भेजा जा सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केआरएमबी ने दिनांक 29.06.2020 के पत्र के माध्यम से अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी से अनुरोध किया कि कृपया मामले की जांच कराई जाए ताकि इस मुद्दे को हल करने के लिए इस संबंध में उपयुक्त तंत्र का सुझाव दिया जा सके।

जवाब में, ISM-I, Dte, CWC से दिनांक 15.07.2020 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें यह कहा गया था कि अध्यक्ष, केआरएमबी के दिनांक 17.07.2018 के अंतिम विचार के आधार पर इस मुद्दे को पार्टी राज्यों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे मौजूदा KWDT-II के अनुसार भेजा जा सकता है।

उसे दोनों राज्यों को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड पत्र दिनांक 16.07.2020 के माध्यम से सूचना और उचित समझी जानेवाली आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया था ।

जवाब में, मुख्य अभियंता (सिंचाई), आई एंड सीएडी विभाग, तेलंगाना सरकार के दिनांक 27.11.2020 के पत्र के माध्यम से कहा कि सीडब्ल्यूसी का सुझाव अनुचित है और केडब्ल्यूडीटी-1 के निर्णय को बिना किसी देरी के लागू करने का अनुरोध किया गया है।

इस संदर्भ में, केआरएमबी ने पत्र दिनांक 08.12.2020 के माध्यम से अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी से अनुरोध किया कि आगे आवश्यक कार्रवाई करने के लिए ईएनसी, टीएस पत्र दिनांक 27.11.2020 पर सीडब्ल्यूसी के विचारों / टिप्पणियों से व्यक्त करें।

IV. जल वर्ष 2020-21 में आंध्रप्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए कामन नागार्जुनसागर बाईं नहर - में घाटे के लेखांकन के लिए समिति ।

09.08.2019 को आयोजित कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड की 10वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, जल वर्ष 2019-20 के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए कॉमन नागार्जुनसागर बाईं नहर में नुकसान के लेखांकन हेतु 17.10.2019 को एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अक्टूबर और

नवंबर 2019 के दौरान फील्ड अवलोकन किया और 05.02.2020 को केआरएमबी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। केआरएमबी ने पत्र संख्या 2/27/2018/केआरएमबी/409-410 दिनांक 07.02.2020 के जरिए रिपोर्ट पर उनके विचार जानने के लिए दोनों राज्यों के ईएनसी को रिपोर्ट भेजी। हालाँकि, किसी भी राज्य से कोई टिप्पणी केआरएमबी को प्राप्त नहीं हुई।

04.06.2020 को आयोजित केआरएमबी की 12वीं बैठक के दौरान, इस जल वर्ष 2020-21 में एनएसएलसी में नुकसान की टिप्पणियों को एक समिति द्वारा भी लेने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष ने सदस्य, टीएस से समिति द्वारा सही टिप्पणियों की सुविधा के लिए एनएसएलसी में पानी को उचित रूप से विनियमित करने का अनुरोध किया।

04.06.2020 को आयोजित केआरएमबी की 12वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, केआरएमबी ने जल वर्ष 2020-21 के लिए नागार्जुनसागर बाईं नहर में घाटे के लेखांकन के लिए दोनों राज्यों से नामांकन प्राप्त करने के बाद दिनांक 27.07.2020 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एक समिति का गठन किया।

V. आंध्रप्रदेश राज्य द्वारा गोदावरी जल को कृष्णा बेसिन में मोड़ने पर नोट

गोदावरी जल को कृष्णा बेसिन में मोड़ने के मुद्दे पर तेलंगाना राज्य द्वारा लगातार पत्राचार किया जा रहा है, जैसे (i) पोलावरम डायवर्जन से पानी का हिस्सा और (ii) पट्टीसीमा से डायवर्जन। तेलंगाना राज्य ने इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर उठाया जैसे तीन सदस्य समिति की बैठकों, बोर्ड बैठकों और 21-09-2016 को नई दिल्ली में आयोजित पहली शीर्ष परिषद बैठक। उन्होंने 12-02-2017 से 15-02-2017 तक दोनों राज्यों विशेषज्ञ समिति की यात्रा के दौरान उनके समक्ष भी इसे प्रस्तुत किया। मुख्य अभियंता (तेलंगाना), आई एंड सीएडी विभाग, तेलंगाना सरकार के पत्र दिनांक 14.02.2020 के अनुसार पट्टिसीमा एलआईएस के माध्यम से निकाले गए पानी में से पानी की मात्रा को साझा करने के लिए तदर्थ आधार पर एक तंत्र का सुझाव तुरंत `देने का अनुरोध किया गया और ये भी निवेदन किया गया है कि अंतिम निपटान लंबित होने तक, पट्टीसीमा एलआईएस से निकाले गए पानी से बेसिन के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की सेवा के लिए तेलंगाना को एक तदर्थ हिस्सा दिया जा सकता है।

केआरएमबी ने अपने पत्र दि. 23.03.2020 को जल शक्ति मंत्रालय को संबोधित किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि इस मुद्दे की जांच की जाए और 15.02.2018 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाए।

इस मुद्दे पर एजेंडा आइटम 12.8.7 के तहत 04.06.2020 को आयोजित केआरएमबी की 12वीं बैठक के दौरान चर्चा की गई, जिसमें प्रधान सचिव टी.एस. ने कहा कि पट्टीसीमा एलआईएस के माध्यम से कृष्णा की ओर मोड़े गए 80 टीएमसी गोदावरी पानी में, तेलंगाना के पास तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य को

आवंटित 45 टीएमसी का हिस्सा है। उन्होंने केआरएमबी से आवंटन के निर्णय को लागू करने और 45 टीएमसी पानी में तेलंगाना की हिस्सेदारी की सिफारिश करने का अनुरोध किया।

विशेष मुख्य सचिव, आंध्रप्रदेश ने कहा कि यह मुद्दा KWDT-II के विचाराधीन है।

अध्यक्ष ने कहा कि इस मुद्दे पर फरवरी, 2018 में जल शक्ति मंत्रालय में आयोजित बैठक में चर्चा की गई थी और दर्ज किया गया था कि मंत्रालय आगे की कार्रवाई करने के लिए इस मुद्दे की जांच करेगा। केआरएमबी इस संबंध में दोनों राज्यों की राय मंत्रालय को सौंपेगी।

इसके अलावा,केआरएमबी पत्र दिनांक 30.06.2020 के माध्यम से एक अनुस्मारक भी भेजा गया था।

8.7 वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए डीपीआर की स्थिति

1) रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना की डीपीआर 11.12.2020 को केआरएमबी में प्राप्त हुई थी। लेकिन यह निर्धारित प्रारूप में नहीं था । इसलिए सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए एमओजेएस के दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर तैयार करने के लिए आंध्रप्रदेश सरकार से 17.12.2020 और 08.01.2021 को अनुरोध किया गया है।

2) गुंड्रेवुला जलाशय की डीपीआर 22.03.2021 को केआरएमबी में प्राप्त हुई थी। लेकिन यह निर्धारित प्रारूप में नहीं था। इसलिए सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए एमओजेएस के दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर तैयार करने के लिए आंध्रप्रदेश सरकार से 30.03.2021 को अनुरोध किया गया है।

3) गुरु-राघवेंद्र एलआई योजना की डीपीआर 22.03.2021 को केआरएमबी में प्राप्त हुई। लेकिन यह निर्धारित प्रारूप में नहीं था। इसलिए सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए MoJS के दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर तैयार करने के लिए आंध्रप्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है।

4) आरडीएस राइट कैनाल की डीपीआर 25.01.2021 को केआरएमबी में प्राप्त हुई थी। लेकिन यह निर्धारित प्रारूप में नहीं था। इसलिए आंध्र प्रदेश सरकार से सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए एमओजेएस के दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर तैयार करने के लिए आँध्रप्रदेश से 08.03.2021 को अनुरोध किया गया है।

5) वेदवती (हगारी) नदी एलआई योजना की डीपीआर 25.01.2021 को केआरएमबी में प्राप्त हुई। लेकिन यह निर्धारित प्रारूप में नहीं था। इसलिए 18.02.2021 को सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए MoJS के दिशानिर्देशों के अनुसार डीपीआर तैयार करने के लिए आंध्रप्रदेश सरकार से अनुरोध किया गया है।

अध्याय-9

संसदीय प्रश्न, आरटीआई, वीआईपी संदर्भ, क्षमता निर्माण और अदालती मामले

9.1 संसदीय प्रश्न

वर्ष 2020-2021 के दौरान, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने अठारह (18) संसदीय प्रश्नों (लोकसभा और राज्य सभा) के उत्तर तैयार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण को प्रासंगिक जानकारी / इनपुट प्रस्तुत किए।

9.2 सूचना का अधिकार (आरटीआई)

केआरएमबी में आरटीआई अधिनियम, 2005 को लागू करने के लिए, अधीक्षण अभियंता को कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के लिए केंद्रीय केंद्र सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया था और सदस्य सचिव को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों से बाईस (22) आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं और सभी आवेदकों को जवाब भेज दिए गए हैं।

9.3 वीआईपी संदर्भ

केआरएमबी ने वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त दो (02) वीआईपी संदर्भों का जवाब देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण को प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत की है।

9.4 क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण/ सम्मेलन/ संगोष्ठी/ कार्यशालाएँ/ बैठकें)

1. एक अधिकारी ने 15 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे द्वारा आयोजित "सीआईसी द्वारा विकसित पारदर्शिता ऑडिट सॉफ्टवेयर" पर दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

2. राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे द्वारा 15 फरवरी 2021 से 19 फरवरी 2021 तक आयोजित "गूगल धरती इंजन और जल क्षेत्र में इसके अनुप्रयोग" पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक अधिकारी ने भाग लिया।

9.5 अदालती मामले

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), दक्षिणी क्षेत्र (SZ), चेन्नई में दायर 2 मामलों को KRMB को भेजा गया था। काउंटर दायर किए गए हैं, और मामलों का निपटारा किया गया है।

अदालती मामलों की स्थिति प्रतिवेदन

क्रम सं	केस सं.	LIMBS सं.	अदालत का नाम	भरने की तारीख	शामिल मुद्दे	टिप्पणी
1	O A संख्या . वर्ष 2020 के 71 (SZ)	694505	NGT,SZ चेन्नई	15.05.2020	श्रीशैलम जलाशय से पानी निकालने के लिए एक प्रमुख जल पम्पिंग योजना प्रदान करके रायलसीमा लिफ्ट योजना नाम से नई लिफ्ट सिंचाई परियोजना को लागू करने में आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किए गए उल्लंघन के बारे में जिसे नवनिर्मित राज्य तेलंगाना द्वारा साझा किया जा रहा है और आंध्रप्रदेश राज्य पर्यावरण कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है।	29.10.2020 पर निस्तारण किया

क्रम सं	केस सं.	LIMBS सं.	अदालत का नाम	भरने की तिथि	शामिल मुद्दे	टिप्पणी
2	OA संख्या. वर्ष 2020 का 71 (SZ) में M.A संख्या. वर्ष 2020 का 06 (SZ)	766173	NGT, SZ, चेन्नई	14.12.2020	दिनांक 29.10.2020 के फैसले द्वारा मामले OA सं : 71/ 2020 (SZ) का निपटारा करते हुए इस ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देशों के खिलाफ रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के साथ आगे बढाने के लिए आंध्रप्रदेश राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।	24.02.2021 पर निस्तारण किया

अध्याय – 10
अन्य गतिविधियाँ

10.1 अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस

माननीय प्रधानमंत्री ने महामारी (कोविड-19) की मौजूदा परिस्थितियों के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए (21-06-2020) 2020 के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस"घर पर योगा; परिवार के साथ योगा" मनाने के लिए स्पष्ट रूप से आह्वान किया। डीओ पत्र के अनुसार छठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक एम-16011/42/2019 दिनांक 18 जून 2020, माननीय प्रधान मंत्री के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मनाने के संदेश के वीडियो लिंक 21 जून 2020 को प्रदान किए गए हैं। केआरएमबी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वीडियो लिंक का पालन करते हुए योग का अभ्यास किया।

10.2 हिंदी पखवाड़ा

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के सुचना के अनुसार 3 से 16 तारीख तक सितंबर, 2020 के दौरान **"हिंदी पखवाड़ा"** मनाया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और सभी विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

केआरएमबी अध्यक्ष , सदस्य सचिव, सदस्य (विद्युत्), निदेशक (वित्त) और मुख्य अभियंता हिंदी पखवाड़ा में भाग लेते हुए

केआरएमबी अध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्य (विद्युत्) और अधिकारीगण हिंदी पखवाड़ा में भाग लेते हुए

हिंदी पखवाड़ा पुरस्कारों के विजेता

10.3 स्वच्छता पखवाड़ा

एमओजेएस, डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर क्रमांक पत्र सं बी-11011/1/2021-जीए दिनांक 14.01.2021,के निर्देशों के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का उद्घाटन 16.03.2021 को केआरएमबी, हैदराबाद में किया गया। अध्यक्ष श्री ए.परमेशम द्वारा केआरएमबी के अधिकारियों और कर्मचारियों को अंग्रेजी और हिंदी में स्वच्छता शपथ दिलाई गई। कार्यालय की मेजों, कार्यस्थलों, फर्नीचर की सफाई, पुराने अखबारों, कच्चे कागजात का निपटान, कार्यालय परिसर के सामने सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम, तख्तियां प्रदर्शित करना, खिड़की के शीशे, पर्दों की सफाई और समीक्षा तथा सभी पुरानी फाइलों को छांटना जैसी गतिविधियां कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड में 16 से 31 मार्च, 2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा-2021 के दौरान लिया गया।

श्री ए. परमेशम, अध्यक्ष, केआरएमबी ने स्वच्छता शपथ दिलाई

केआरएमबी अधिकारियों / कर्मचारियों ने ली स्वच्छता की शपथ।

कार्यालय परिसर की सफाई, पुराने अखबारों, कच्चे कागजात का निस्तारण और सभी पुरानी फाइलों की समीक्षा और छंटाई

ऑफिस टेबल, वर्कस्टेशन, फर्नीचर, कंप्यूटर, प्रिंटर, ज़ेरॉक्स मशीन, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, विंडो ग्लास और पर्दे आदि की सफाई।

सार्वजनिक स्थानों पर (कार्यालय परिसर के सामने और इर्रममंजिल मेट्रो स्टेशन के पास) प्लेकार्ड प्रदर्शित करने के साथ जागरूकता कार्यक्रम

10.4 नागरिक कर्तव्यों पर केंद्रित जागरूकता अभियान

संविधान दिवस, हमारे देश में 26 नवंबर, 1949 को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड ने जून 2020 के महीने में 29.06.2020 को मासिक गतिविधि का प्रदर्शन किया, जिसमें श्री ए. परमेशम, अध्यक्ष, श्री एल.बी. मुआंथांग, सदस्य सचिव और सदस्य (विद्युत), श्रीमती बी. प्रेमाकुमारी, निदेशक (वित्त) और नागरिक कर्तव्य 2020 पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और केआरएमबी के अन्य अधिकारी/कर्मचारी ने भाग लिया। ।

IEC सामग्री जैसे पोस्टर और ब्रोचर (अंग्रेजी और तेलुगु दोनों में) सूचना के प्रसार और कार्यालय परिसर में प्रदर्शित करने की व्यवस्था के लिए कर्मचारियों के बीच वितरित किए गए। भारत के संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों की प्रतिज्ञा को श्री ए. परमेशम, अध्यक्ष, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के साथ-साथ कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कर्मचारियों ने बैनर प्रतिज्ञा साइन बोर्ड पर हस्ताक्षर करते हुए इसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए प्रशासित किया।

वर्तमान COVID-19 स्थिति के कारण नागरिक कर्तव्यों पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम 2020 के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में व्यापक प्रचार के लिए केआरएमबी की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की गयी है।

केआरएमबी में नागरिक कर्तव्यों 2020 पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम

केआरएमबी के सदस्य सचिव और कर्मचारी इसके प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए बैनर प्लेज साइन बोर्ड पर हस्ताक्षर करते हुए।

10.5 क्षेत्र संदर्शन

कोई क्षेत्रीय संदर्शन नहीं हैं।

अनुलग्नक-I

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—14 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—14

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 6] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 2014/ फाल्गुन 10, 1935 (शक)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 2014/PHALGUNA 10, 1935 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 1st *March,* 2014/*Phalguna* 10, 1935 *(Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 1st March, 2014, and is hereby published for general information:—

THE ANDHRA PRADESH REORGANISATION ACT, 2014

No. 6 OF 2014

[1st *March*, 2014.]

An Act to provide for the reorganisation of the existing State of Andhra Pradesh and for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

PART I

PRELIMINARY

1. This Act may be called the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.

(*a*) "appointed day" means the day which the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint;

(*b*) "article" means an article of the Constitution;

(*c*) "assembly constituency", "council constituency" and "parliamentary constituency" have the same meanings as in the Representation of the People Act, 1950; 43 of 1950.

(*5*) The report of the Andhra Pradesh Public Service Commission as to the work done by the Commission in respect of any period prior to the appointed day shall be presented under clause (2) of article 323 to the Governors of the States of Andhra Pradesh and Telangana and the Governor of the State of Andhra Pradesh shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining as far as possible, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non-acceptance to be laid before the Legislature of the State of Andhra Pradesh and it shall not be necessary to cause such report or any such memorandum to be laid before the Legislative Assembly of the State of Telangana.

PART IX

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF WATER RESOURCES

Apex Council for Godavari and Krishna river water resources and their Management Boards.

84. (*1*) The Central Government shall, on and from the appointed day, constitute an Apex Council for the supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board.

(*2*) The Apex Council shall consist of—

(*a*) Minister of Water Resources, Government of India—Chairperson;

(*b*) Chief Minister of State of Andhra Pradesh—Member;

(*c*) Chief Minister of State of Telangana—Member.

(*3*) The functions of the Apex Council shall include—

(*i*) supervision of the functioning of the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board;

(*ii*) planning and approval of proposals for construction of new projects, if any, based on Godavari or Krishna river water, after getting the proposal appraised and recommended by the River Management Boards and by the Central Water Commission, wherever required;

(*iii*) resolution of any dispute amicably arising out of the sharing of river waters through negotiations and mutual agreement between the successor States;

(*iv*) reference of any disputes not covered under Krishna Water Disputes Tribunal, to a Tribunal to be constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. 33 of 1956.

Constitution and functions of River Management Board.

85. (*1*) The Central Government shall constitute two separate Boards to be called the Godavari River Management Board and Krishna River Management Board (to be known as the Board), within a period of sixty days from the appointed day, for the administration, regulation, maintenance and operation of such projects, as may be notified by the Central Government from time to time.

(*2*) The headquarters of Godavari River Management Board shall be located in the successor State of Telangana and of the Krishna River Management Board shall be located in the successor State of Andhra Pradesh.

(*3*) The Godavari River Management Board and Krishna River Management Board shall be autonomous bodies under the administrative control of the Central Government, and shall comply with such directions as may, from time to time, be given to them by the Central Government.

(*4*) Each Board shall consist of the following Chairperson and Members, namely:—

(*a*) a Chairperson not below the rank or level of Secretary or Additional Secretary to the Government of India to be appointed by the Central Government;

(*b*) two members, to be nominated by each of the successor States, of which one shall be the technical member not below the rank of Chief Engineer and the other administrative member to represent the concerned States;

(*c*) one expert to be nominated by the Central Government.

(*5*) Each Board shall have a full-time Member Secretary, not below the rank of Chief Engineer in the Central Water Commission, to be appointed by the Central Government.

(*6*) The Central Government shall create such number of posts of the rank of Chief Engineer in the Central Water Commission, as it considers necessary.

(*7*) Each Board shall be assisted in the day to day management of reservoirs by the Central Industrial Security Force constituted under the Central Industrial Security Force Act, 1968, on such terms and conditions as the Central Government may specify.

50 of 1968.

(*8*) The functions of each Board shall include—

(*a*) the regulation of supply of water from the projects to the successor States having regard to—

(*i*) awards granted by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956;

33 of 1956.

(*ii*) any agreement entered into or arrangement made covering the Government of existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(*b*) the regulation of supply of power generated to the authority in-charge of the distribution of power having regard to any agreement entered into or arrangement made covering the Government of the existing State of Andhra Pradesh and any other State or Union territory;

(*c*) the construction of such of the remaining on-going or new works connected with the development of the water resources projects relating to the rivers or their tributaries through the successor States as the Central Government may specify by notification in the Official Gazette;

(*d*) making an appraisal of any proposal for construction of new projects on Godavari or Krishna rivers and giving technical clearance, after satisfying that such projects do not negatively impact the availability of water as per the awards of the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 for the projects already completed or taken up before the appointed day; and

33 of 1956.

(*e*) such other functions as the Central Government may entrust to it on the basis of the principles specified in the Eleventh Schedule.

Staff of the Management Board.

86. (*1*) The Board shall employ such staff as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions under this Act and such staff shall, at the first instance, be appointed on deputation from the successor States in equal proportion and absorbed permanently in the Board.

(*2*) The Government of the successor States shall at all times provide the necessary funds to the Board to meet all expenses (including the salaries and allowances of the staff) required for the discharge of its functions and such amounts shall be apportioned between the States concerned in such proportion as the Central Government may, having regard to the benefits to each of the said States, specify.

(*3*) The Board may delegate such of its powers, functions and duties as it may deem fit to the Chairman of the said Board or to any officer subordinate to the Board.

(*4*) The Central Government may, for the purpose of enabling the Board to function efficiently, issue such directions to the State Governments concerned, or any other authority, and the State Governments, or the other authority, shall comply with such directions.

Jurisdiction of Board.

87. (*1*) The Board shall ordinarily exercise jurisdiction on Godavari and Krishna rivers in regard to any of the projects over headworks (barrages, dams, reservoirs, regulating structures), part of canal network and transmission lines necessary to deliver water or power to the States concerned, as may be notified by the Central Government, having regard to the awards, if any, made by the Tribunals constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956. 33 of 1956.

(*2*) If any question arises as to whether the Board has jurisdiction under sub-section (*1*) over any project referred thereto, the same shall be referred to the Central Government for decision thereon.

Power of Board to make regulations.

88. The Board may make regulations consistent with the Act and the rules made thereunder, to provide for—

(*a*) regulating the time and place of meetings of the Board and the procedure to be followed for the transaction of business at such meetings;

(*b*) delegation of powers and duties of the Chairman or any officer of the Board;

(*c*) the appointment and regulation of the conditions of service of the officers and other staff of the Board;

(*d*) any other matter for which regulations are considered necessary by the Board.

Allocation of water resources.

89. The term of the Krishna Water Disputes Tribunal shall be extended with the following terms of reference, namely:—

(*a*) shall make project-wise specific allocation, if such allocation have not been made by a Tribunal constituted under the Inter-State River Water Disputes Act, 1956; 33 of 1956.

(*b*) shall determine an operational protocol for project-wise release of water in the event of deficit flows.

Explanation.— For the purposes of this section, it is clarified that the project specific awards already made by the Tribunal on or before the appointed day shall be binding on the successor States.

Polavaram Irrigation Project to be a national project.

90. (*1*) The Polavaram Irrigation Project is hereby declared to be a national project.

(*2*) It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the regulation and development of the Polavaram Irrigation Project for the purposes of irrigation.

(*3*) The consent for Polavaram Irrigation Project shall be deemed to have been given by the successor State of Telangana.

(*4*) The Central Government shall execute the project and obtain all requisite clearances including environmental, forests, and rehabilitation and resettlement norms.

Arrangements on Tungabhadra Board.

91. (*1*) The Governments of the successor States of Andhra Pradesh and Telangana shall replace the existing State of Andhra Pradesh on the Tungabhadra Board.

(*2*) The Tungabhadra Board shall continue to monitor the release of water to High Level Canal, Low Level Canal and Rajolibanda Diversion Scheme.

PART X

INFRASTRUCTURE AND SPECIAL ECONOMIC MEASURES

Successor States to follow principles, guidelines, etc., issued by Central Government.

92. The principles, guidelines, directions and orders issued by the Central Government, on and from the appointed day, on matters relating to coal, oil and natural gas, and power generation, transmission and distribution as enumerated in the Twelfth Schedule shall be implemented by the successor States.

अनुलग्नक –II

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1148] नई दिल्ली, बुधवार, मई 28, 2014/ज्येष्ठ 7, 1936
No.1148] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 28, 2014/JYAISTHA 7, 1936

जल संसाधन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, मई, 2014

का.आ. 1391(अ).—केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) की धारा 85 की उप–धारा (1), उप–धारा (4) और उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्णा नदी पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की गई परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड का गठन करती है, जो निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क)	केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से भारत सरकार के अपर सचिव स्तर का कोई अधिकारी	– अध्यक्ष
(ख)	उत्तरवर्ती राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना द्वारा प्रत्येक से नामनिर्दिष्ट दो सदस्य, जिसमें एक तकनीकी सदस्य जो मुख्य अभियंता के रैंक से अन्यून नहीं होगा और अन्य प्रशासनिक सदस्य होगा, जो संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे	– सदस्य
(ग)	केन्द्रीय विद्युत अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से एक विशेषज्ञ	– सदस्य
(घ)	केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी (समूह 'क') सेवा से एक अधिकारी, जो मुख्य अभियंता से अन्यून नहीं होगा	– सदस्य सचिव (पूर्णकालिक)

2. कृष्णा नदी प्रबंध बोर्ड का मुख्यालय हैदराबाद होगा ।

[फा.सं. 1/1/2014–एसपीआर]

उर्विला खाती, संयुक्त सचिव

2202 GI/2014 (1)

MINISTRY OF WATER RESOURCES

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2014

S.O. 1391(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (4) and (5) of Section 85 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014), the Central Government hereby constitutes the Krishna River Management Board for the administration, regulation, maintenance and operation of such projects on Krishna river, as may be notified by the Central Government from time to time, consisting of the following Chairperson and Members, namely:—

(1)	An officer of the level of Additional Secretary to the Government of India from the Central Water Engineering (Group 'A') Service	-	Chairperson
(2)	Two members, to be nominated by each of the successor States of Telangana and Andhra Pradesh, of which one shall be the technical member not below the rank of Chief Engineer and the other administrative member to represent the concerned States	-	Members
(3)	One expert from the Central Power Engineering (Group 'A') Service	-	Members
(4)	An Officer not below the rank of Chief Engineer from the Central Water Engineering (Group 'A') Service	-	Member Secretary

2. The headquarters of the Krishna River Management Board shall be at Hyderabad.

[F. No.1/1/2014-SPR]

URVILLA KHATI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Annexure – III

THE ELEVENTH SCHEDULE
[See section 85(8)(e)]

Principles governing the functioning of the River Management Boards

1. The operation protocol notified by the Ministry of Water Resources with respect to water resources arrived at based on appropriate dependability criteria after the adjudication bythe Krishna Water Disputes Tribunal shall be binding on both the successor States.
2. In the event of conflicting demand of water for irrigation and power, the requirement of water for irrigation shall take precedence.
3. In the event of conflicting demand of water for irrigation and drinking water, the requirement of water for drinking water purpose shall take precedence.
4. The allocations made by the River Water Tribunals with regard to various projects on Godavari and Krishna Rivers or for the regions of the existing State of Andhra Pradesh, inrespect of assured water shall remain the same.
5. Allocations, if any, to be made on excess flows by any Tribunal in future shall be binding on both the State of Telangana and the Successor State of Andhra Pradesh.
6. While the successor State Governments shall be responsible for managing natural calamities, the Boards shall advise the two State Governments on the management of disaster or drought or flood in the rivers of Krishna and Godavari, particularly in reference to the release of water for the management and mitigation of the natural calamities. The Boards shall have the full authority to get their orders implemented by the two successor State Governments promptly and effectively in respect of operation of the head works of the dams, reservoirs or head works of canals and works appurtenant thereto including the hydel power projects, as notified by the Central Government, on Krishna and Godavari Rivers.
7. No new projects based on water resources arrived at based on appropriate dependability criteria on Godavari or Krishna rivers can be taken up by the State of Telangana or the State of Andhra Pradesh without obtaining sanction from the Apex Council on River water resources. All such proposals shall be first appraised and technically cleared by the respective Board, before sanction by the said Apex Council.

8. Execution of ongoing projects and future new projects on Godavari and Krishna rivers shall be the responsibility of the State Government concerned where the project is located.
9. In case of non-implementation of the decision by either of the States, the defaulting State shall bear the responsibility and shall face financial and other penalties imposed by the Central Government.
10. The following irrigation projects which are under construction shall be completed as per the plan notified by the existing State of Andhra Pradesh and the water sharing arrangement shall continue as such :-

    (i) HandriNiva
    (ii) Telugu Ganga
    (iii) GaleruNagiri
    (iv) Venegondu
    (v) Kalvakurthi
    (vi) Nettempadu

अनुलग्नक – IV

File No.R-12011/7/2016-Pen.Riv.

F. No. R-12011/7/2016-Pen.Riv.
Government of India
Ministry of Water Resources,
River Development and Ganga Rejuvenation

****

353, Krishi Bhawan, New Delhi
Dated the 5th October, 2018

ORDER

Subject: Constitution of Committee to ensure supply of Krishna water to augment drinking water supply to Chennai city- reg.

In partial modification of this Ministry's Order of even number dated 07.09.2018, the Committee to ensure supply of Krishna water to augment drinking water supply to Chennai City is hereby re-constituted with following composition:-

i.	Chairman, KRMB	- Chairperson
ii.	Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Maharashtra	- Member
iii.	Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Karnataka	- Member
iv.	Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Tamil Nadu	- Member
v.	Engineer-in-Chief, I & CAD, Govt of Telangana	- Member
vi.	Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Andhra Pradesh	- Member
vii.	Chief Engineer, IMO, CWC	- Member
viii.	Member Secretary, KRMB	- Member-Secretary

2. Terms of Reference of the Committee, as earlier, are the following:-

i. To evolve mechanism for accounting:
a. the flows to be supplied by the States of Maharashtra and Karnataka as per their shares: and
b. the flows to be supplied by the States of Telangana and Andhra Pradesh as per their shares to Chennai city water supply as per the interstate agreements so as to realize the agreed quantities of water at Andhra Pradesh - Tamil Nadu border.
ii. To ensure drinking water supply of water to Chennai city as per the relevant interstate agreements.
iii. The committee shall meet at least twice in a year in the months of June and December to ensure supply of 8TMC of water during July to October and 4 TMC of water during January to April to Chennai city.
iv. The venue of the meeting shall be decided by the Chairperson of the Committee from time to time.

ACMallick
(A.C. MALLICK)
Under Secretary to the Govt. of India
Email:uspenriv-mowr@gov.in / ☎ 011-23383059

To
1. Chairman, Krishna River Management Board
2. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Maharashtra

File No.R-12011/7/2016-Pen.Riv.

3. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Karnataka
4. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Tamil Nadu
5. Engineer-in-Chief, I & CAD, Govt of Telangana
6. Engineer-in-Chief, WRD, Govt of Andhra Pradesh
7. Chief Engineer, IMO, CWC
8. Member-Secretary, KRMB

Copy to: Joint Secretary, Inter State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs, Vigyan Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi.

Copy for information to :

1. PS to Minister (WR, RD & GR)
2. PS to Secretary (WR, RD & GR)
3. PS to Additional Secretary (WR, RD & GR)

(A.C. MALLICK)
Under Secretary to the Govt. of India
Email:uspenriv-mowr@gov.in / ☎ 011-23383059

अनुलग्नक – V

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा जल विनियमन से संबंधित मामलों की चर्चा करने के लिए 18 व 19 जून, 2015 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की प्रति।

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा जल विनियमन से संबंधित मामलों के बारे में चर्चा करने के लिए 18 व 19 जून, 2015 को आयोजित बैठक की चर्चा का संक्षिप्त रिकॉर्ड।

1. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा पानी के उपयोग के नियमन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 18 और 19 जून, 2015 को अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधिकारियों के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार तथा कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकारी उपस्थित थे।

2. हिस्सेदारों का स्वागत करते हुए, अतिरिक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों से इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3. आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने जल के नियमन के उद्देश्य से कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली परियोजनाओं को तत्काल अधिसूचित करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी हवाला दिया कि वर्तमान में बोर्ड के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तेलंगाना राज्य के प्रतिनिधि ने कहा कि परियोजनाओं की अधिसूचना और जल के नियमन के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले यह आवश्यक है कि जल विनियमन के व्यापक सिद्धांतों और एक उपयुक्त कार्यान्वयन तंत्र पर काम किया जाए। इस संबंध में, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि के डब्ल्यू डी टी-I अधिनिर्णय के अनुसार तत्कालीन आंध्रप्रदेश राज्य को विभिन्न परियोजनाओं में सामूहिक उपयोग के लिए 811 TMC आवंटित किया गया है। हालांकि, तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लिए गए व्यवस्था / विभिन्न निर्णयों के द्वारा की गयी संशोधित आवंटन से दोनों राज्यों को आंध्र प्रदेश में 512 टीएमसी और तेलंगाना में 299 टीएमसी दिया गया।

4. आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि ने विरोध किया कि तेलंगाना का हिस्सा केवल 279 टीएमसी है और कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण के पूरा होने के बाद ही उन्हें भीमा लिफ्ट परियोजना के लिए अतिरिक्त 20 टीएमसी उपलब्ध होगा। तेलंगाना के प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि

KWDT-II के समक्ष तत्कालीन आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत संशोधित आवंटन विवरण को दोनों राज्यों द्वारा पालन किया जाना है।

5. बैठक में, यह सहमति हुई कि उपयुक्त मंचों के समक्ष उठाए गएया उठायी जानेवाले अधिकारों के बारे में दोनों राज्यों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न होते हुए दिनांक 18-10-2013 (अनुलग्नक के रूप में संलग्न) बनायी गयी दोनों राज्यों के भागों को आंकड़े में दर्शाई गई परियोजनाओं की सूची को केवल वर्तमान वर्ष की कार्य व्यवस्था के रूप में अनुपालन किया जाए।
6. दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त की कि वे अपने हिस्से का जल जहां भी वे तय करते हैं, उस स्थान पर पानी की उपलब्धता के अधीन और दूसरे राज्य के अधिकारों को प्रभावित किए बिना का उपयोग कर सकते हैं।
7. तत्पश्चात, परियोजना से संबंधित मामलों की चर्चा हुयी तथा केवल अस्थायी तौर पर जल वर्ष 2015-2016 के लिए निम्नलिखित कार्य व्यवस्थाओं को उपाय के रूप में सहमति दी गई।

नागार्जुन सागर परियोजना

8. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इस बात पर सहमति बनी कि इस परियोजना से दोनों राज्यों का जल हिस्सा अनुलग्नक के अनुसार होगा। बायीं तट नहर के जल नियंत्रण करते समय वर्तमान प्रचलन के अनुसार केआरएमबी आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्य दोनों की आवश्यकताओं पर विधिवत विचार करेगा।
9. आंध्रप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की अनुसूची XI के अनुसार यह सहमति हुई कि दोनों राज्यों की मांगों पर विचार करते समय जुड़वां शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद क्षेत्रों की पेयजल आवश्यकताओं को उचित प्राथमिकता दी जाएगी।

कृष्णा डेल्टा प्रणाली

10. अधिकरण अधिनिर्णय के अनुसार कृष्णा डेल्टा परियोजना, यानी प्रकाशम बैराज, विजयवाडा के लिए 181.2 टीएमसी जल आवंटित किया गया है। हालांकि संलग्न अनुलग्नक के अनुसार कृष्णा डेल्टा का हिस्सा 151.2 टीएमसी है।
11. कृष्णा डेल्टा के जल की जरूरतों को एनएसपी द्वारा पूरक मध्यवर्ती योगदान से पूरा किया जाता है। जहाँ तक पालेरू, मुन्नेरू और मूसी द्वारा नागार्जुन सागर की उपयुक्त निचली धारा जल उपज की मामले में,आंध्रप्रदेश सरकार ने कहा कि वह केवल 20 टीएमसी है। तेलंगाना

सरकार के प्रतिनिधि के अनुसार यह उपज 101.2 टीएमसी है। कृष्णा डेल्टा को रिलीज का निर्धारण करते समय कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा मध्यस्थ आवाहन से वास्तविक उपयोगी जल को ध्यान में रखने की बात पर सहमती हुई।

कृष्णा डेल्टा में नहरों के माध्यम से वास्तविक निर्वहन की मापन तथा मूसी, पलेरू और मुन्नेरू धाराओं से प्रवाह डेटा, पुलिचिंतला में संचयन से धारा आंकड़ों को लेकर कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड को ध्यान में रखने हेतु सीडब्ल्यूसी द्वारा नागार्जुन सागर के मध्यस्थ आवाहन निचली धारा से जल की उपयोगी मात्रा का मूल्यांकन किया जाएगा। यह मात्रा कुल आबंटन में से घटाई जाएगी तथा कृष्णा डेल्टा प्रणाली क्षेत्र तथा सिंचाई के लिए नागार्जुन सागर परियोजना से संपूरित किया जाएगा।

12. आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि ने उल्लेख किया है कि अगर भीमा परियोजना के लिए 20 टीएमसी जल का उपयोग किया जाना है तो कृष्णा डेल्टा आधुनिकीकरण के खर्च तेलंगाना सरकार द्वारा साझा की जानी चाहिए। । तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधि ने लागत बंटवारे के इस विचार का तीव्र विरोध किया।

13. नागार्जुन सागर परियोजना में नहर प्रणाली की आवश्यकताओं और कृष्णा डेल्टा प्रणाली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल को विनियमित किया जाएगा।

<u>श्रीशैलम जलाशय परियोजना</u>

14. यह नोट किया गया कि तेलुगु गंगा नहर के माध्यम से चेन्नई जल आपूर्ति (एपी और टीएस शेयर) के लिए 5 टीएमसी की आवश्यकता है और एसआरबीसी के लिए 19 टीएमसी की आवश्यकता है। यह सहमति हुई कि बिजली उत्पादन के लिए रिलीज करते समय नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जलाशय के लिए प्रतिबद्ध उपयोगों को सुनिश्चित किया जा सकता है।

<u>कार्यान्वयन पद्धति</u>

15. दोनों राज्यों के मुख्य अभियंता और केआरएमबी के सदस्य सचिव युक्त समिति द्वारा संबंधित परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत गई आवश्यकताओं को तथा जल की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांगपत्रों पर विचार करेगी और सिफारिश करेगी। कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय संबंधित राज्य परियोजना प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

16. उपरोक्त समिति अनुसंलाग्नक में दर्शित के.सी.कैनाल, जूराला और आरडीएस के माध्यम से जल की रिहाई का भी नियंत्रण करेगा।
17. यह सहमति हुई कि वर्तमान वर्ष में 811 टी.एम.सी. के आवंटन के बाद उपलब्ध जल की मात्रा को आनुपातिक रूप से साझा किया जाएगा। इसी तरह, 811 टी.एम.सी. से नीचे के घाटे को भी तदनुसार साझा किया जाएगा।
18. वर्तमान वर्ष के लिए सहमती प्राप्त संपूर्ण प्रबंधन दोनों राज्यों के लिए किसी भी मंच पर बिना किसी पक्षपात के होंगे ।

सभा को धन्यवाद समर्पण के साथ बैठक समाप्त की गई ।

हस्ताक्षरित दि : 19.06.2015
ए.एन. दास
प्रधान सचिव, डब्ल्यू.आर.डी.
आँध्रप्रदेश सरकार

हस्ताक्षरित दि : 19.06.2015
एस.के.जोशी
प्रधान सचिव, आई व सी.ए.डी विभाग
तेलंगाना सरकार

हस्ताक्षरित दि : 19.06.2015
डॉ. अमरजीत सिंह
अतिरिक्त सचिव
जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय

अनुलग्नक V का परिशिष्ट

कृष्णा बेसिन में आँध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों की परियोजनाएँ

क्रम सं	परियोजना का नाम	बचावत प्रतिवेदन के अनुसार	पुनः आवंटन	क्षेत्रवार आवंटन			कुल
				रायलसीमा	तटीय आन्ध्र	तेलंगाना	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**क्षेत्र में विशिष्ठ परियोजनाएँ**						
1	कृष्णा डेल्टा	181.20	152.20	-	152.20	-	152.20
2	मुनियेरू परियोजना	3.30	3.30	-	3.30	-	3.30
3	पाखल झील	2.60	2.60	-	-	2.60	2.60
4	वैरा	3.70	3.70	-	-	3.70	3.70
5	पालेर	4.0	4.0	-	-	4.0	4.0
6	दिंडी	3.70	3.50	-	-	3.5	3.5
7	कर्नूल – कडपा नहर	39.90	31.90	31.90	-	-	31.90
8	कोयिल सागर	3.90	3.90	-	-	3.90	3.90
9	तुंगभद्रा **दायां किनारा** निचली सतह नहर	29.50	29.50	29.50	-	-	29.50
10	तुंगभद्रा **दायां किनारा उच्चस्तरीय** नहर स्टेज- I और II	32.50	32.50	32.50	-	-	32.50
11	राजोलिबंडा दिक्परिवर्तन योजना	15.90	15.90	-	-	15.90	15.90
12	भैरवानितिप्पा	4.90	4.90	4.90	-	-	4.90
13	मूसी	9.40	9.40	-	-	9.40	9.40
14	लंकासागर	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0
15	वैकुंठपुरम पंपिंग योजना	2.60	2.00	-	2.0	-	2.0
16	कोटिपल्लि वागु	2.0	2.0	-	-	2.0	2.0
17	गुंटूर चैनल	4.0	4.0	-	4.0	-	4.0
18	ओकाचेट्टी वागु	1.90	1.90	-	-	1.90	1.90

19	गाजुलदिन्ने	2.0	2.0	2.0	-	-	2.0
20	जूराला बाँध	17.84	17.84	-	-	17.84	17.84
21	सिकंदराबाद और हैदराबाद के जुड़वां शहरों में जलापूर्ति	3.90	5.70	-	-	5.70	5.70
22	लघु सिंचाई	116.26	111.26	12.24	9.87	89.15	111.26
कुल (I)		**486.00**	**445.00**	**113.04**	**171.37**	**160.59**	**445.00**
II	**आम परियोजनाएँ**						
23	नागार्जुन सागर परियोजना	281.00	280.00		174.30	105.70	280.00
24	श्रीशैलम (वाष्पीकरण हानियाँ)	33.00	33.00	11.00	11.00	11.00	33.00
25	चेन्नई शहर जल आपूर्ति		5.00	1.66	1.67	1.67	5.00
कुल (II)		**314.00**	**318.00**	**12.66**	**186.97**	**118.37**	**318.00**
III	**बचत और वापसी प्रवाह पर आधारित नई परियोजनाएं**						
26	श्रीशैलम दाहिनी शाखा नहर		19.00	19.00			19.00
27	पुलिचिंताला परियोजना		9.00		9.00		9.00
28	राजीव (भीम) लिफ्ट योजना (जुराला तट से)		20.00			20.00	20.00
29	वापसी बहाव	11.00					
कुल (III)		**11.00**	**48.00**	**19.00**	**9.00**	**20.00**	**48.00**
कुल (I+II+III)		**811.00**	**811.00**	**144.70**	**367.34**	**298.96**	**811.00**

नोट:

1. उपरोक्त विवरण उन परियोजनाओं के स्थान के आधार पर तैयार किया गया है जिनके लिए KWDT-I द्वारा आवंटन किया गया है।
2. हैदराबाद जल आपूर्ति योजना को 3.3 टीएमसी के उपभोग्य उपयोग के साथ शुरू किया गया था जो डिंडी परियोजना से 0.2 टीएमसी, वैकुंठपुरम पीएस से 0.6 टीएमसी, नागार्जुन सागर परियोजना से 1.0 टीएमसी और जुड़वा शहरों को जलापूर्ति के लिए 3.9 टीएमसी में से 1.50 टीएमसी की बचत के साथ किया गया था। (आंध्र प्रदेश सरकार सिंचाई विभाग G.O.Ms.No.19 दि: 05.02.2003).

3. महबूबनगर जिले में भीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (20 टीएमसी) और पुलिचिंताला परियोजना (वाष्पीकरण हानियों के लिए 9 टीएमसी) को कृष्णा डेल्टा के आधुनिकीकरण द्वारा प्रस्तावित बचत के खिलाफ लिया गया है। (सलाहकार समिति की 64वीं बैठक में सीडब्ल्यूसी का अनुमोदन पत्र संख्या 10/27/96-पीए (एन)/502-550 दिनांक: 16.04.1996)।

4. श्रीशैलम दायीं तट नहर को बचवत ट्रिब्यूनल द्वारा आवंटित 11 टीएमसी और बचत के माध्यम से 8 टीएमसी के.सी.नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के कारण के वापसी प्रवाह के साथ लिया गया था। (सीडब्ल्यूसी सलाहकार समिति की 58वीं बैठक द्वारा अनुमोदित पत्र संख्या 16/27/94-पीए (एन) दिनांक: 04.07.1994)।

5. एपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 14.04.1976 के समझौते के अनुसार चेन्नई जल आपूर्ति के लिए एपी सरकार के योगदान के लिए आँध्रप्रदेश को 5 टी.एम.सी पुनः आवंटित किया गया। । यह 5 टीएमसी लघु सिंचाई आवंटन में से तीन क्षेत्रों में समान रूप से दिखाया गया है।

6. श्रीशैलम जलाशय के लिए 33 टीएमसी का वाष्पीकरण नुकसान तीन क्षेत्रों के बीच समान रूप से दिखाया गया है।

7. नागार्जुन सागर परियोजना का आवंटन "नागार्जुन सागर परियोजना, तृतीय संशोधित परियोजना अनुमान 2000" के अनुसार दिखाया गया है और आवंटन के अनुपात में वाष्पीकरण हानि शामिल है।

आपका आभारी,
हस्ताक्षरित दि : 18.10.2013
मुख्य अभियंता (ओ एस डी), आई एस व डब्ल्यू आर मुख्य अभियंता के लिए (ओ एस डी), आई एस व डब्ल्यू आर

अनुलग्नक - VI

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों द्वारा प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं (लघु परियोजनाओं को छोड़कर) से नहर / योजना-वार पानी का आहरण (टीएमसी में) ।

क्र.सं	परियोजना का नाम	आंध्रप्रदेश द्वारा आहरित जल (टीएमसी)	तेलंगाना द्वारा आहरित जल (टीएमसी)	कुल आहरित (टीएमसी)
A	**श्रीशैलम परियोजना**			
1	महात्मा गाँधी कल्वकुर्ति लिफ्ट सिंचाई योजना		30.397	30.397
2	पोतिरेड्डी पाडु हेड रेगुलेटर	124.254		124.254
3	हन्द्री नीवा सुजल स्रावंथी परियोजना	40.999		40.999
4	मुचुमर्री लिफ्ट सिंचाई योजना	4.516		4.516
5	चेन्नई जल आपूर्ति	3.333	1.667	5.000
	कुल	**173.102**	**32.064**	**205.166**
B	**नागार्जुन सागर परियोजना**			
1	हैदराबाद मेट्रो जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (HMWS & SB)		16.557	16.557
2	एलिमिनेटि माधव रेड्डी परियोजना & बाढ़ प्रवाह नहर		36.987	36.987
3	नागार्जुन सागर बायें नहरें	30.556	106.326	136.882
4	नागार्जुन सागर दाहिनी नहेरें	158.197		158.197
5	कृष्णा डेल्टा प्रणाली	166.726		166.726
6	गुंटूर चैनल	3.376		3.376
	कुल	**358.854**	**159.870**	**518.724**
C	**तुंगभद्रा परियोजना**			
1	तुंगा भद्रा परियोजना उच्च स्तरीय नहर	26.184		26.184
2	तुंगा भद्रा परियोजना निम्न स्तरीय नहर	18.748		18.748
3	के सी नहर	36.963		36.963
4	आर डी एस		5.253	5.253
	कुल	**81.895**	**5.253**	**87.148**
डी	**जूराला परियोजना**			
1	जूराला परियोजना		26.667	26.667
2	नेट्टेमपाडु एल आई एस		5.992	5.992
3	भीमा एल आई एस		10.304	10.304
4	कोइल सागर एल आई एस		1.298	1.298
	कुल	**0.000**	**44.261**	**44.261**
ई	**मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ**			

1	मूसी		2.261	2.261
2	पखाला झील		1.176	1.176
3	वेरा		2.63	2.630
4	लंकासागर		0.521	0.521
5	दिंडी		1.961	1.961
6	पालेरू		3.238	3.238
7	कोटिपल्लि वागु		0	0.000
8	मुनियेरु	3.498		3.498
9	गाजुलादिन्ने	1.586		1.586
10	पुलिचिंताला परियोजना			0.000
11	भैरवानितिप्पा	0		0.000
12	सुंकेसुला			0.000
	कुल	**5.084**	**11.787**	**16.871**
एफ़	**कुल योग I (A+B+C+D+E)**	**618.935**	**253.235**	**872.170**

अनुलग्नक- VII

आंध्रप्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कृष्णा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण

क्रम. सं.	हाईड्रो पावर परियोजना	सामर्थ्य (मेगावाट)	ऍफ़ आर एल	एमडीडीएल	बहाव	पंप पद्धति में प्रचालन की सुविधा	राज्य
1	प्रियदर्शिनी जूराला	6 x 39	+318.516 मी	+314.86 मी	--	--	तेलंगाना
2	निचली जूराला	6 x 40	+299.000 मी	+294 .00 मी	--	--	तेलंगाना
3	श्रीशैलम दायीं तट	7x110	+269.748 मी	+254.200 मी	--	--	आंध्रप्रदेश
4	श्रीशैलम बायीं तट	6 x 150	+269.748 मी	+243.84 मी	--	पंप पद्धति प्रचालन के लिए सभी टर्बाइन प्रतिवर्ती प्रकार के हैं।	तेलंगाना
5	नागार्जुन सागर बांध	1 x 110 + 7 x100.8	+179.832 मी	+154.230 मी कन्वेंशनल के लिए और +150.880 मी रेवेर्सिबल यूनिट के लिए	4700 कन्वेंशनल /4300 प्रतिवर्ती प्रति यूनिट के लिए	पंप पद्धति प्रचालन के लिए 7 x 100.80 मेगावाट प्रतिवर्ती प्रकार का हैं।	तेलंगाना
6	नागार्जुन सागर दायीं नहर	3 x 30.6	+179.832 मी	+161.544मी	5000 क्यूसेक प्रति यूनिट	--	आँध्रप्रदेश
7	नागार्जुन सागर बाईं नहर	2 x 30.6	+179.832 मी	+167.030मी	--	--	तेलंगाना
8	नागार्जुन सागर टेल पांड	2 x25	+75.50 मी	+74.0मी	--	--	आँध्रप्रदेश
9	पुलिचिंतला	4 x 30	+53.34 मी	+42.67 मी	--	--	तेलंगाना

Srisailam Reservoir 2020-21

PLATE-I

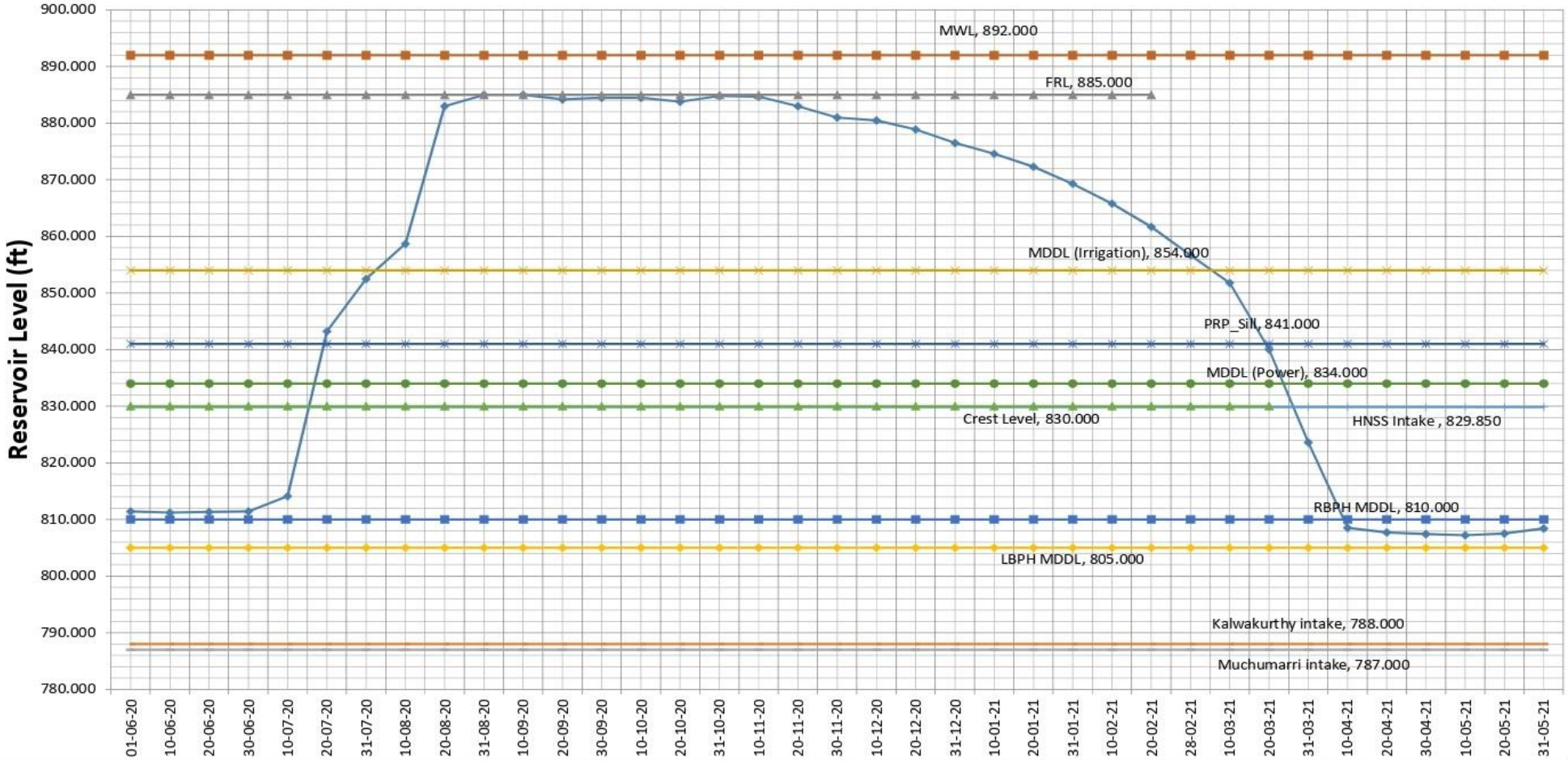

	Gross Storage (TMC)	Level (ft)
01-06-20	35.128	811.400
10-06-20	34.978	811.200
20-06-20	35.028	811.300
30-06-20	35.078	811.400
10-07-20	36.766	814.100
20-07-20	66.840	843.200
31-07-20	85.750	852.500
10-08-20	101.921	858.700
20-08-20	204.789	883.000
31-08-20	215.807	885.000
10-09-20	215.807	885.000
20-09-20	210.995	884.200
30-09-20	212.920	884.500
10-10-20	212.920	884.500
20-10-20	208.721	883.800
31-10-20	214.845	884.800
10-11-20	213.882	884.700
20-11-20	204.352	883.000
30-11-20	193.409	881.000
10-12-20	190.772	880.500
20-12-20	182.605	878.900
31-12-20	170.664	876.500
10-01-21	161.674	874.600
20-01-21	151.482	872.300
31-01-21	138.613	869.300
10-02-21	125.494	865.800
20-02-21	111.409	861.700
28-02-21	96.496	856.700
10-03-21	84.099	851.800
20-03-21	61.797	840.000
31-03-21	43.615	823.600
10-04-21	33.436	808.500
20-04-21	33.017	807.700
30-04-21	32.834	807.400
10-05-21	32.696	807.200
20-05-21	32.879	807.500
31-05-21	33.390	808.400

10 Daily

Nagarjuna Sagar Project 2020-21

PLATE-II

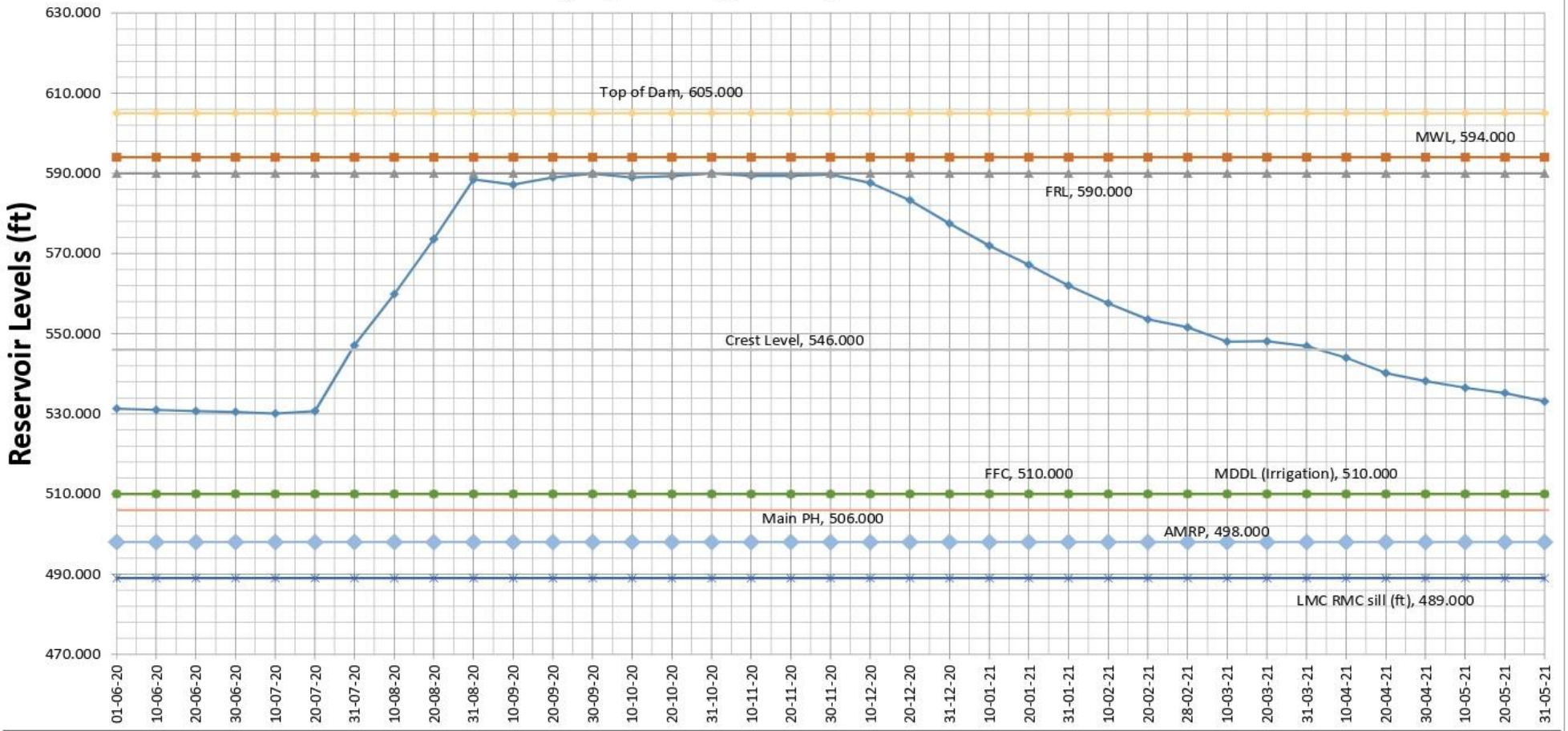

	01-06-20	10-06-20	20-06-20	30-06-20	10-07-20	20-07-20	31-07-20	10-08-20	20-08-20	31-08-20	10-09-20	20-09-20	30-09-20	10-10-20	20-10-20	31-10-20	10-11-20	20-11-20	30-11-20	10-12-20	20-12-20	31-12-20	10-01-21	20-01-21	31-01-21	10-02-21	20-02-21	28-02-21	10-03-21	20-03-21	31-03-21	10-04-21	20-04-21	30-04-21	10-05-21	20-05-21	31-05-21
Gross Storage (TMC)	170.696	170.104	169.517	169.125	168.342	169.517	203.435	232.142	265.606	307.579	305.624	309.057	311.746	309.051	309.953	312.045	310.252	310.252	311.149	305.863	292.533	275.805	261.590	249.549	237.068	226.834	217.760	213.317	205.392	205.611	203.001	196.761	188.744	184.597	181.114	178.476	174.261
Level (ft)	531.300	531.000	530.700	530.500	530.100	530.700	547.100	559.900	573.600	588.500	587.200	589.000	589.900	589.000	589.300	590.000	589.400	589.400	589.700	587.600	583.300	577.500	572.000	567.200	562.000	557.600	553.600	551.600	548.000	548.100	546.900	544.000	540.200	538.200	536.500	535.200	533.100

10 Daily

PLATE -III

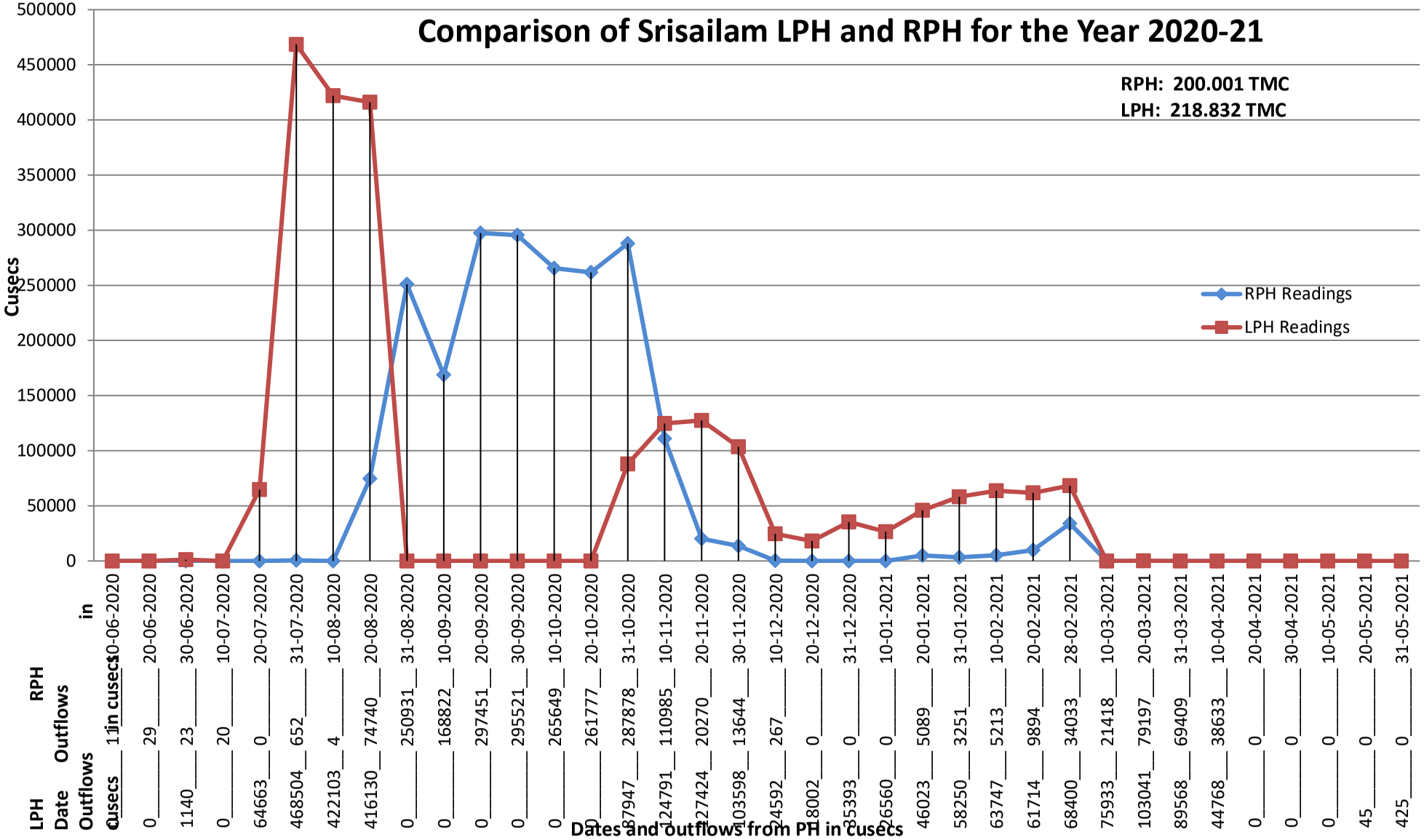

LPH Outflows in cusecs	Date	RPH Outflows in cusecs
0	10-06-2020	1
0	20-06-2020	29
1140	30-06-2020	23
0	10-07-2020	20
64663	20-07-2020	0
468504	31-07-2020	652
422103	10-08-2020	4
416130	20-08-2020	74740
0	31-08-2020	250931
0	10-09-2020	168822
0	20-09-2020	297451
0	30-09-2020	295521
0	10-10-2020	265649
0	20-10-2020	261777
0	31-10-2020	287878
87947	10-11-2020	110985
124791	20-11-2020	20270
127424	30-11-2020	13644
103598	10-12-2020	267
74592	20-12-2020	0
18002	31-12-2020	0
0	10-01-2021	0
35393	20-01-2021	5089
26560	31-01-2021	3251
46023	10-02-2021	5213
58250	20-02-2021	9894
63747	28-02-2021	34033
61714	10-03-2021	21418
68400	20-03-2021	79197
75933	31-03-2021	69409
103041	10-04-2021	38633
89568	20-04-2021	0
44768	30-04-2021	0
0	10-05-2021	0
0	20-05-2021	0
0	31-05-2021	0
45		
425		

PLATE -IV

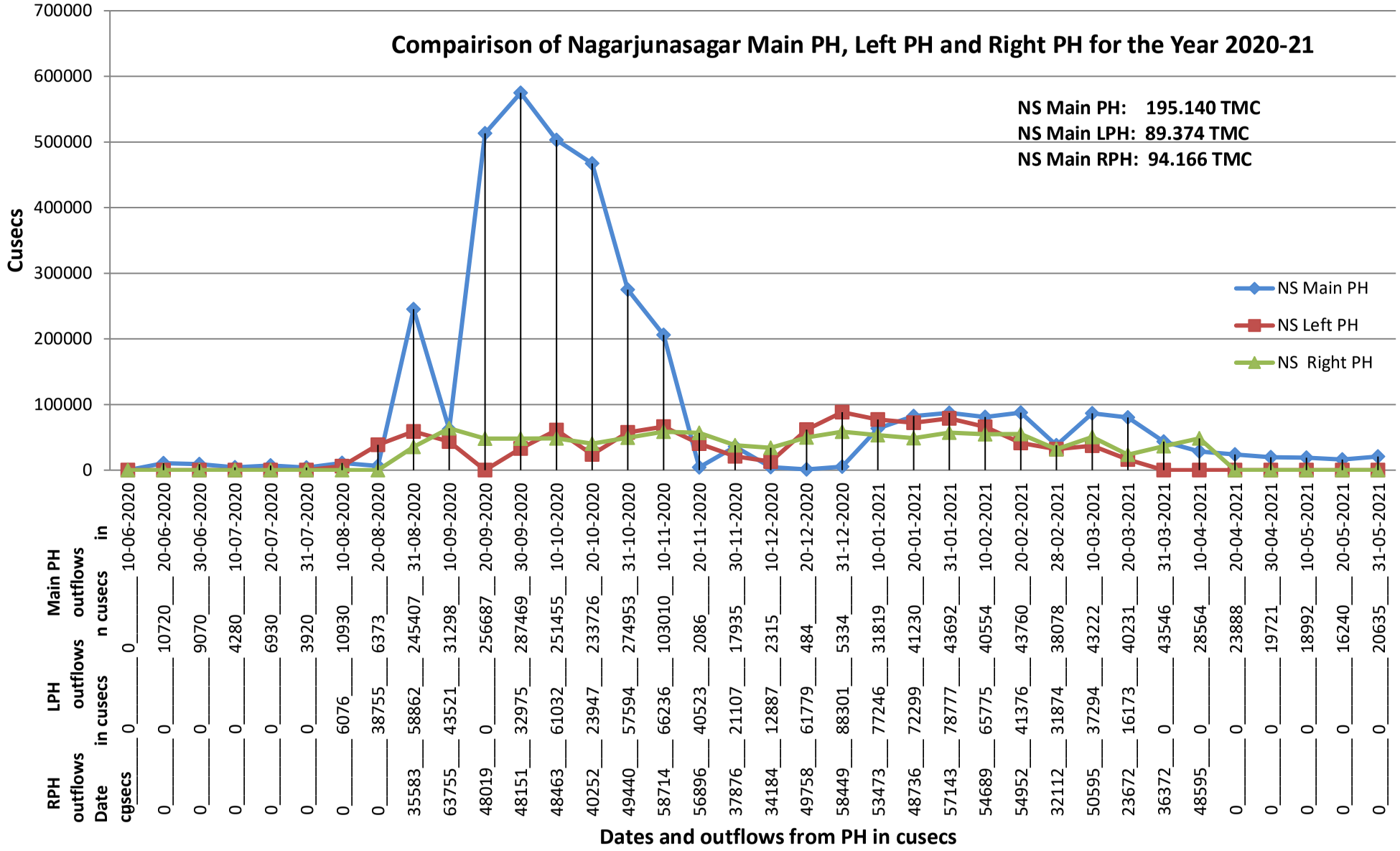

Date	Main PH outflows in cusecs	LPH outflows in cusecs	RPH outflows in cusecs
10-06-2020	0	0	0
20-06-2020	10720	0	0
30-06-2020	9070	0	0
10-07-2020	4280	0	0
20-07-2020	6930	0	0
31-07-2020	3920	0	0
10-08-2020	10930	6076	0
20-08-2020	6373	38755	0
31-08-2020	245407	58862	35583
10-09-2020	31298	43521	63755
20-09-2020	256687	0	48019
30-09-2020	287469	32975	48151
10-10-2020	251455	61032	48463
20-10-2020	233726	23947	40252
31-10-2020	274953	57594	49440
10-11-2020	103010	66236	58714
20-11-2020	2086	40523	56896
30-11-2020	17935	21107	37876
10-12-2020	2315	12887	34184
20-12-2020	484	61779	49758
31-12-2020	5334	88301	58449
10-01-2021	31819	77246	53473
20-01-2021	41230	72299	48736
31-01-2021	43692	78777	57143
10-02-2021	40554	65775	54689
20-02-2021	43760	41376	54952
28-02-2021	38078	31874	32112
10-03-2021	43222	37294	50595
20-03-2021	40231	16173	23672
31-03-2021	43546	0	36372
10-04-2021	28564	0	48595
20-04-2021	23888	0	0
30-04-2021	19721	0	0
10-05-2021	18992	0	0
20-05-2021	16240	0	0
31-05-2021	20635	0	0

प्रकाशम बैराज

कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड

5 वीं मंजिल, जल सौधा, इर्रम-मंजिल,

हैदराबाद – 500 082

दूरभाष: 040-23301858; फैक्स: 040-23301655

ई-मेल: krmb.hyd@gmail.com

Website: https://krmb.gov.in